अध्याय 2

लेखे पर टिप्पणियां

संघ लेखे के प्रस्तुतीकरण (परिशुद्धता, पूर्णता तथा पारदर्शिता) में अर्थपूर्ण कमियों से संबंधित टिप्पणियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। विनियोग लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों को इस प्रतिवेदन के अध्याय 6, 7 तथा 8 में सम्मिलित किया गया है। सरकार के खर्च करने पर नियमितता, मितव्ययता, दक्षता तथा प्रभावकारिता पर अभ्युक्तियां अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में संसद को पृथक रूप से प्रस्तुत करने के लिए समाविष्ट की जाती हैं।

2.1 संघ के वित्त लेखे में बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणियों/सूचनाओं का गैर- समावेश

बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) ने नवम्बर 2004 में सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में रोकड़ से लेखांकन के प्रोद्भूत आधार में लम्बित परिवर्तन को अधिक पारदर्शी एवं सूचित निर्णय लेने हेतु योग्य बनाने के लिए संघ सरकार के लेखे में आठ अतिरिक्त विवरणियों/सूचनाओं को शामिल करने के लिए अनुशंसा की थी। अनुशंसा को सरकार द्वारा सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विवरणियाँ निम्नलिखित थीं:

(i) दी गई स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों आर्थिक सहायता, की विवरणी (ii) विभिन्न विभागों/इकाईयों द्वारा वेतन पर व्यय सम्मिलित करते हुए विवरणी (iii) पेंशनभोगियों पर व्यय का ब्यौरा और सरकारी पेंशन पर व्यय (iv) भविष्य में प्रतिबद्ध देयताओं पर डाटा (v) ऋण तथा अन्य देयताओं के साथ-साथ पुनर्भुगतान अनुसूची पर सूचना सम्मिलित करते हुए विवरणी (vi) सरकार द्वारा खर्च करने के तरीके में परिवर्तन से उद्भूत सहित सरकार द्वारा अधिकार में रखे हुई वित्तीय परिसम्पत्तियों में सहवर्धन या अपरदन (vii) भावी रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित वर्ष के दौरान अथवा नई योजनाओं पर सरकार द्वारा लिए गए मुख्य नीति निर्णयों को लागू करना तथा (viii) वेतन तथा गैर-वेतन हिस्से को अलग करते हुए अनुरक्षण व्यय पर विवरणी।

वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के लिए संघ सरकार के लेखाओं पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया गया था कि संघ सरकार के लेखाओं में कथित अतिरिक्त विवरणियाँ/सूचना को सम्मिलित करने हेतु बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) की अनुशंसाओं का, आयोग की अनुशंसाओं के पाँच वर्षों के बीत जाने के बावजूद भी, अनुपालन नहीं किया गया था। यह भी अनुशंसा की गई थी कि वित्त मंत्रालय संघ वित्त लेखे में उपरोक्त अतिरिक्त विवरणियों को सम्मिलित करने हेतु

एक विशिष्ट समय सीमा तैयार करे। मंत्रालय की कार्रवाई टिप्पणी जनवरी 2011 तक भी प्रतीक्षित थी।

2009-10 के लिए वित्त एवं विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कथित विवरणियों, जैसा कि बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसा की गई थी, को उचित रूप से इस वर्ष के लेखाओं में सम्मिलित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने संघ सरकार के लेखाओं में इन विवरणियों को सम्मिलित करने में अपनी असर्मथता व्यक्त की थी (दिसम्बर 2009) तथा बताया कि वित्त लेखे में अतिरिक्त विवरणियों को सम्मिलित करने पर सरकार के दृष्टिकोण को बारहवें वित्त आयोग को प्रेषित कर दिया गया था।

तेरहवें वित्त आयोग ने अवलोकन करते समय कि किए गए वित्त लेखाओं की अधिकांश संख्या सभी परिशिष्टियाँ उपलब्ध नहीं करते, अनुशंसा कि बारहवीं वित्त आयोग की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए सभी परिशिष्टियों का मानकीकरण होना चाहिए (पैरा 7.134 में) तथा सभी राज्यों द्वारा अनुपालना होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उनके प्रतिवेदनों के पैरा 9.41 से 9.61 में, तेरहवें वित्त आयोग ने वार्षिक केन्द्रीय बजट/मध्यावधि वित्तीय नीति विवरण (म.वि.नि.) के माध्यम से वित्तीय समेकन के लिए संशोधित मार्गदर्शन के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रकटीकरण/विवरणियाँ प्रदान करने हेतु अनुशंसा की। इस प्रकार, तेरहवें वित्त आयोग ने अच्छे प्रकटीकरण के लिए संघ एवं राजयों के वित्त लेखाओं में अतिरिक्त विवरणियों के समावेश की आवश्यकता को भी अनुभव किया।

2.2 कार्यान्वयन अभिकरणों के खाते में अनिर्धारणीय अव्ययित शेष

हाल के वर्षों में, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, रोजगार, साफ-सफाई आदि हेतु ध्वजपोत कार्यक्रमों तथा अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (के.प्रा.यो.) के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार की कार्यनीति में उदाहरणीय विचलन हुआ है। इनमें से अधिकतर योजनाएं केन्द्रीय भाग के राज्य सरकार को हस्तांतरण के साथ लागत भागीदारी आधार पर पूर्व में कार्यान्वित की गई थी। अब संघ सरकार ने राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों, समितियों, गैर-सरकारी संस्थानों आदि को राज्य सरकार बजट से बाहर के.प्रा.यो. के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय योजनागत सहायता को सीधे हस्तांतरण करना आरम्भ कर दिया है। राज्य तथा जिला स्तरीय कार्यान्वयन निकाय इन योजना निधियों को सरकारी खाते से बाहर बैंक में अपने खाते में रखते हैं।

वर्ष 2009-10 के लिए, संघ सरकार ने ₹93,880* करोड़ (संशोधित अनुमान के अनुसार) की केन्द्रीय नियोजित सहायता को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन

* व्यय बजट 2010-11 (खण्ड-I) के अनुसार

के लिए सीधे ही राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को अंतरित करने के लिए एक प्रावधान बनाया। चूंकि निधियाँ उसी वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा खर्च नहीं की जा रही हैं, इसलिए उनके खातों में अव्ययित निधियों की पर्याप्त राशि पड़ी हैं। सरकारी लेखे से बाहर रखी गई, कार्यान्वयन अभिकरणों के खातों में अव्ययित शेष की कुल राशि सहज रूप से निश्चेय नहीं है। इस प्रकार, सरकारी व्यय जैसा कि लेखाओं में दर्शाया गया है को अधिक बताया गया।

कार्यान्वयन अभिकरणों को इस निधियों के प्रवाह के लिए भिन्न प्रकार की लेखांकन अभिक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है ताकि निधि के उपयोग पर आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात, सरकारी लेखे में केवल कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किए गए अंतिम व्यय को ही दर्ज किया जाए।

इस विषय पर वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी टिप्पणी की गई थी किन्तु इस परिस्थिति के निदान के लिए अभी विवेकपूर्ण कदम नहीं उठाए गए हैं।

2.3 सरकारी लेखाओं में अपारदर्शिता

सरकारी वित्तीय व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता की एक दिशा में सार्वभौमिक प्रवृत्ति है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि पारदर्शी बजटीकरण तथा लेखांकन अभ्यास यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिन वास्तविक उद्देश्यों हेतु राज्यों द्वारा मांग की गई निधियां सरकार द्वारा किए गए वादे अनुसार व्यय की जाएंगी तथा व्यय करने से अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक लेखा प्रपत्र है जिसमें सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय को विधानसभा को सूचित किया जाता है, की निरन्तर समीक्षा तथा अद्यतन किया जाता है ताकि वे सच्चे रूप से सभी महत्वपूर्ण पणधारियों की आधारभूत सूचना की जरूरतों को पूरा करने हेतु एक पारदर्शी रूप में सरकार के सभी मुख्य कार्यकलापों पर प्राप्ति तथा व्यय को प्रदर्शित कर सकें।

संघ सरकार वित्त लेखे 2009-10 की संवीक्षा ने उजागर किया कि लेखे (जो सरकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करते हैं) के 24 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹15,899.73 करोड़ को लेखे में लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो संबंधित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दर्ज किए गए कुल व्यय के 50 *प्रतिशत* से अधिक था। यह लेखे में अपारदर्शिता की भारी मात्रा को दर्शाता है। पर्याप्त व्यय के साथ अन्य सामाजिक सेवाएँ, कृषि वित्तीय संस्थान, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी, उद्योगों एवं खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय, नागरिक विमानन, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, भूमि एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, वृक्षारोपण पर पूंजीगत परिव्यय, अन्य दूरसंचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, समुद्र-विज्ञान अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय तथा विदेशी व्यापार पर पूंजीगत परिव्यय आदि

जैसे मुख्य शीर्षों के ब्यौरे वर्गीकृत महत्वपूर्ण व्यय सहित "अन्य व्यय" के रूप में **परिशिष्ट-II-क** में दिए गए हैं।

परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि शीर्ष '2416-कृषि वित्तीय संस्था'; '2801-विद्युत', '3053-सिविल विमानन' और '3275- अन्य संचार सेवाएं' के अंतर्गत कुल व्यय के प्रति 'अन्य व्यय' की प्रतिशतता क्रमशः 120 *प्रतिशत*, 67 *प्रतिशत*, 96 *प्रतिशत* एवं 54 *प्रतिशत* तक अधिक थी।

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (₹5,000 करोड़), पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम हेतु परियोजनाओं के लिए उपयोगिता के प्रति मिशन फ्लैक्सीबल पूल (₹3,380 करोड़), किसानों को लघु अवधि क्रेडिट प्रदान करने हेतु ब्याज आर्थिक सहायता (₹2,011 करोड़), हज चार्टर को आर्थिक सहायता (₹941 करोड़), राष्ट्रमण्डल खेल (₹522 करोड़) जैसी महत्वपूर्ण व्यय मदों को वित्त लेखे में विशिष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है लेकिन लघु शीर्ष "अन्य व्यय" में जोड़ा गया है।

इस पर नि.म.ले.प. के वर्ष 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. सी.ए.13 तथा वर्ष 2008-09 के प्रतिवेदन सं. 1 में इस अनुशंसा के साथ कि वित्तीय व्यवस्था को सूचित करने में और अधिक पारदर्शिता को प्राप्त करने हेतु इस कमी का निदान करने के लिए सरकारी लेखे की संरचना की सरकार द्वारा एक व्यापक समीक्षा की जाए, की चर्चा की गई थी। यद्यपि, आंतरिक उपाय के रूप में, लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) ने वित्त लेखे में लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत आवृत्त महत्वपूर्ण व्यय, सरकार के वर्तमान कार्यकलापों को दर्शाने के लिए लेखे के नए शीर्षों को खोलकर तथा अप्रचलित लेखा शीर्षों को बन्द करने के माध्यम से लेखे की पुनर्संरचना का ब्यौरा देते हुए वित्त लेखे में फुटनोटों को जोड़ा गया है जिन्हें सरकार द्वारा स्थाई आधार पर समस्या का निदान करने हेतु नहीं लिया गया है।

मंत्रालय ने सितम्बर 2010 की अपनी कार्रवाई टिप्पणी में बताया कि इस संबंध में जनवरी 2010 में लेखा महानियंत्रक द्वारा लेखा नियंत्रकों को लघु शीर्ष '800 -अन्य व्यय' के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यय दर्ज करते समय अत्याधिक सावधानी बरतने हेतु अनुदेश जारी कर दिए गये थे। मंत्रालय ने आगे बताया कि कुछ नए लघु शीर्ष खोले गए है। तथापि, इन नए शीर्षों का ब्यौरा प्रदान नहीं किया गया है।

2.4 लोक लेखे में निधियों का अपर्याप्त प्रकटीकरण

(i) राष्ट्रीय निवेश निधि

(क) राष्ट्रीय निवेश निधि (रा.नि.नि.) की निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, निधि प्रबंधकों के साथ निवेशित पोर्टफोलियो से वार्षिक आय को आरम्भिक रूप से भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में मुख्य शीर्ष "1475- अन्य सामान्य आर्थिक

सेवाएं" के नीचे "110- रा.नि.नि. की पोर्टफोलियो प्रबन्धन योजना (विवेकी माध्य) से आय" के अन्तर्गत आय के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। तत्पश्चात, आय को सामाजिक क्षेत्र योजनाओं पर व्यय तथा पुनुरूज्जीवनीय या लाभप्रद सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पूंजीगत निवेश के निवेश उद्देश्यों को पूरा करने हेतु मुख्य शीर्ष "8453-रा.नि.नि. का आय एवं व्यय लेखा" को अंतरित किया जाना होता है।

संघ वित्त लेखे 2008-09 तथा 2009-10 की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹84.81 करोड़ तथा ₹226.85 करोड़ की आय को भा.स.नि. के अंतर्गत आय के रूप में दर्शाते हुए मुख्य शीर्ष "8453-रा.नि.नि. का आय एवं व्यय लेखा" भा.स.नि. से आय के अंतरण को दर्शाने के लिए लोक लेखा में खोला नहीं गया है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 के अन्त में अंतिम शेष को शीर्ष "8452-राष्ट्रीय निवेश निधि" के अन्तर्गत "शून्य" दर्शाया गया था, यद्यपि 31 मार्च 2010 को वास्तव में ₹1,814[1] करोड़ का शेष निधि में उपलब्ध था। इस प्रकार दर्शाना संदेह एवं अपारदर्शिता का कारण बनता है, जो इस बात को दर्शाता है कि अपनाई गई लेखांकन प्रक्रिया सही नहीं थी। पारदर्शिता के हित में लेखांकन प्रक्रिया को उपयुक्त रूप से सुधारा जाना चाहिए ताकि रा.नि.नि. में सही शेष दर्शाया जा सके तथा इस निधि में से निवेश किया जा सके।

इसकी पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी चर्चा की गई थी परन्तु इस स्थिति का निदान करने हेतु कोई विवेकपूर्ण उपाय नहीं किए गए थे।

(ख) संशोधित लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत, 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2012 की अवधि के दौरान संग्रहित विनिवेश प्राप्तियों को लघु शीर्ष '8452-102-1.4.2009 से 31.3.2012 की अवधि के लिए भारत सरकार की विनिवेश प्राप्तियाँ' के अंतर्गत रा.नि.नि. को अंतरित किया जाना था। संघ के वित्त लेखे 2009-10 की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कथित लघु शीर्ष नहीं खोला गया था तथा ₹23,552.97 करोड़ के रा.नि.नि. को/से अंतरण को लघु शीर्ष '8452-101-सरकारी ईक्विटी धारक प्रीमियम की विनिवेश प्राप्तियाँ' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

(ii) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां, लघु शीर्ष-118) को अप्रैल 2002 में राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति (रा.टे.नि.) 1999 में बल दिए गए सार्वभौमिक सेवा दायित्वों को दिए गए महत्व को प्राप्त करने हेतु स्थापित किया गया था। सार्वभौमिक सेवा दायित्व (सा.से.दा.) को पूरा करने के लिए संसाधनों को "सार्वभौमिक पहुँच उगाही" के माध्यम से एकत्र किए गए हैं जो भारतीय टेलीकॉम

[1] वर्ष 2007-08 में ₹1651 करोड़ और 2008-09 में ₹163 करोड़ का अंतरण किया गया था।

नियमन प्राधिकरण (ट्राई) की सलाह से सरकार द्वारा निश्चित किए गए विभिन्न लाईसेंसों के अन्तर्गत सभी प्रचालकों द्वारा अर्जित राजस्व की एक *प्रतिशतता* है। इसे समायोजित सकल राजस्व के पांच *प्रतिशत* पर निर्धारित किया गया है। ग्रामीण/दूरवर्त्ती क्षेत्रों हेतु सा.से.दा. का कार्यान्वयन निर्धारित सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है जिन्हें सा.दे.दा. निधि से निवल लागत (अर्थात वार्षिकी पूंजीगत वसूली जमा प्रचालन खर्चे घटा वार्षिक राजस्व) की प्रतिपूर्ति की जाती है।

दूरसंचार विभाग (दू.वि.) द्वारा निधियों का प्रबंधन किया जाता है। सा.से.दा. के प्रति प्राप्त उगाही को सर्वप्रथम भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है तथा बाद में केन्द्र सरकार समय-समय पर सा.से.दा. को पूरा करने हेतु विशिष्ट रूप से प्रयोग करने के लिए भारत के लोक लेखा में सा.से.दा. निधि को ऐसी प्राप्तियां जमा करती है। यह एक गैर-व्ययगत निधि है।

2002-03 से 2009-10 के दौरान दू.वि. द्वारा ₹31109.36 करोड़ की कुल सार्वभौमिक उगाही का संचयन किया गया किन्तु इस अवधि के दौरान निधि से केवल ₹10371.44 करोड़ का संवितरण किया गया था। इस प्रकार, 31 मार्च 2010 को निधि का अंतिम शेष, भारत के लोक लेखे में शीर्ष 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां, 118-सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के अंतर्गत दर्शाए गए "शून्य" शेष के प्रति ₹20737.92 करोड़ होना चाहिए था। इसलिए, ₹20737.92 करोड़ तक सा.से.दा. निधि के अंतिम शेष को कम बताया गया।

यह अनुशंसा की जाती है कि दूरसंचार विभाग को आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए तथा सार्वभौमिक पहुँच उगाही की सभी प्राप्तियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व उसी वित्तीय वर्ष में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरित करना चाहिए ताकि निधि शेषों को लेखे में सही रूप से दर्शाया जा सके। दू.वि. को सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण तथा दूरवर्त्ती क्षेत्रों के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्वों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त योजनाएं पूरी की गई है ताकि सा.से.दा. उद्देश्यों को पूरा किया गया है तथा निधि शेषों की उन्हीं उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया गया है जिनके लिए इन्हें संग्रहित किया गया था।

2.5 सरकारी लेखे से बाहर पड़ी लोक निधियाँ

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.) ने जनवरी 2005[2] में सभी मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नियामक निकायों की निधियों को लोक लेखे में अनुरक्षित किया गया है।

[2] भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) का.आ.सं. एफ.1 (30)-बी (ए.सी.) /2004 दिनांक 07 जनवरी 2005

पांच नियामक निकायों अर्थात् भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.), बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.), पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण (पें.नि.नि.वि.प्रा.) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (के.वि.नि.आ.) तथा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पै.प्रा.गै.नि.बो.) के वार्षिक लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ये निकाय मार्च 2010 के अंत तक शुल्क प्रभारों, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदानों आदि के माध्यम से सृजित कुल ₹2,142.47[3] करोड़ की अपनी अधिशेष निधियों को, सरकारी लेखों से बाहर रख रहे थे। इस प्रकार, संघ सरकार के वित्त लेखे सरकारी लेखाओं के बाहर पड़ी ₹2,142.47 करोड़ की निधियों की सीमा तक, सरकारी वित्त व्यवस्था की यथोचित एवं पूर्ण स्थिति प्रकट नहीं करते हैं।

नि.म.ले.प. के मार्च 2008 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन सं. सी.ए.13 तथा वर्ष 2008-09 की संख्या 1 ने भी बी.नि.वि.प्रा. तथा भा.प्र.वि.बो. द्वारा निधियों को सरकारी लेखाओं से बाहर रखने को उजागर किया था।

दिसम्बर 2009 तथा नवम्बर 2010 में, मंत्रालय ने बताया है कि लोक लेखे में भा.प्र.वि.बो. एवं बी.नि.वि.प्रा. की निधियों का संचालन करने के संबंध में व्यवस्था को प्रतिज्ञापित करने वाले विस्तृत दिशानिर्देशों को तैयार कर लिया गया था तथा विस्तृत लेखांकन प्रक्रिया का निरूपण करने हेतु लेखा महानियंत्रक को भेज दिया गया था। तथापि, इस संबंध में कोई भी निधि वर्ष 2009-10 के लिए वित्त लेखे के लोक लेखा में प्रारम्भ नहीं की गई थी।

नवम्बर 2010 में के.वि.नि.आ. ने बताया कि विद्युत मंत्रालय के परामर्श से ले.म.नि. द्वारा के.वि.नि.आ. की निधियों के संचालन के लिए शीर्ष पहले खोला जा चुका था और के.वि.नि.आ. के व्यय से स्थापना संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु संसद ने वर्ष 2010-11 के लिए पहले बैच में ₹24.25 करोड़ पारित किए थे। यह भी बताया गया कि भारतीय लोक लेखा के अंतर्गत संचित निधियों को के.वि.नि.आ. निधियों में अंतरण के लिए विद्युत मंत्रालय से आगे की सूचना प्रतीक्षित थी। सितम्बर 2009 तथा दिसम्बर 2010 को पें.नि.नि.वि.प्रा. ने बताया कि इस मामले पर पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से स्पष्टीकरण की माँग की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, नवम्बर 2010 में वित्त मंत्रालय ने बताया कि पें.नि.नि.वि.प्रा. को भा.प्र.वि.बो. तथा बी.नि.वि.प्रा. द्वारा अपनी अधिक्य निधियों के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुपालन में कोई आपत्ति नहीं थी।

2.6 करों की वापसी पर ब्याज का गलत लेखांकन

अधिक कर की वापसी पर ब्याज भुगतान भारत की संचित निधि पर प्रभारित है तथा इस प्रकार, सामान्य बजटीय क्रियाविधि के माध्यम से देय है। इस लेन-देन को संघ लेखे

[3] भा.प्र.वि.बो. - ₹1,467.81 करोड़ रू, बी.नि.वि.प्रा. ₹622.29 करोड़ रू, पें.नि.नि.वि.प्रा. ₹0.23 करोड़, के.वि.नि.आ.- ₹33.55 करोड़ रू. तथा पें.प्रा.गै.नि.बो.- ₹18.59 करोड़ रू.

में दर्ज करने हेतु लेखे के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची में मुख्य शीर्ष '2020-आय एवं व्यय पर करों का एकत्रण' के अंतर्गत एक अलग लघु शीर्ष '108-वापसी पर ब्याज' को शामिल किया जाता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2009-10 के बजट अनुमानों में वापसियों पर ब्याज हेतु कोई बजट प्रावधान तैयार नहीं किया गया था तथा ₹12,815 करोड़ की राशि प्रावधानिक की आयकर वापसियों पर ब्याज पर व्यय को संघ सरकार के लेखे 2009-10 में संघ सरकार के राजस्व में कटौती के रूप में माना गया था। ऐसे लेखांकन समायोजन न केवल लेखांकन नियमावली के उल्लंघन में है बल्कि इनका परिणाम बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से संसद की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ब्याज भुगतानों पर व्यय प्रभारित करने में भी होता है। वास्तव में, ₹92 करोड़ के आयकर की वापसी पर ब्याज का, 2001-02 के बजट में एक व्यय मद के रूप में बजटीकरण किया गया था। तथापि, संशोधित अनुमानों के स्तर पर, वापसी पर ब्याज को प्राप्ति के रूप में दर्शाने की पहले की पद्धति को प्रत्यावर्तित कर दिया गया था।

वापसियों पर ब्याज को राजस्व में कटौती के रूप में वर्गीकृत करने के परिणामस्वरूप, व्यय के साथ-साथ 2009-10 के लिए संघ सरकार के राजस्व को संघ सरकार के लेखों में ₹12,815 करोड़ (के.बो.प्र.के. द्वारा बताया गया प्रावधानिक आंकड़ा) तक कम बताया था।

संघ के लेखे पर पिछले वर्ष के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन के साथ-साथ वर्ष 2004, 2005, 2006, 2007 तथा 2008 के प्रत्यक्ष कर पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों में भी इस पद्धति पर चर्चा की गई है परन्तु इस स्थिति का निदान करने हेतु कोई विवेकपूर्ण कदम नहीं उठाया गया।

2.7 आयकर कल्याण निधि का सृजन

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने आयकर कल्याण निधि (आ.क.नि.) का सृजन किया तथा पिछले तीन वर्षों में निधि के प्रति ₹100 करोड़ का अंतरण किया। निधि को (i) आयकर विभाग के अधिकारियों की कल्याण, मनोरंजन तथा अन्य बाह्य गतिविधियों के उन्नयन, (ii) चोट अथवा दुर्घटना जैसी आकस्मिकताओं के दौरान अधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, (iii) मृत अधिकारियों के परिवार को अनुग्रह भुगतान प्रदान करने, (iv) अधिकारियों को आपातकालीन एवं गम्भीर संकट हेतु, जो कि के.स.स्वा.यो. प्रतिपूर्ति नियमावली के अंतर्गत पूर्णतः प्रतिपूर्तियोग्य नहीं है, जोखिम बीमा सहित चिकित्सा अनुरक्षण के विभिन्न प्रकारों को प्रदान करने, (v) अधिकारियों के उपयोग हेतु अवकाश गृहों का निर्माण/किराए पर लेना/पट्टे पर लेना/साज-सज्जा/अनुरक्षण आदि के उद्देश्य के साथ सृजित किया गया था।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक निधि के सृजन पर इस आधार पर सहमत नहीं हुआ था कि निधि द्वारा आवृतन की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों को विभाग के वार्षिक बजट में शामिल किया जा सकेगा तथा यह सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से वित्तपोषित किया जाए। लोक लेखे के ब्याज वहन करने वाले वर्गों के अंतर्गत निधि का सृजन, ब्याज की आवर्ती जो कि सामान्य संसदीय वित्तीय नियंत्रण के अधीन नहीं होगी देयताओं के लिए आवश्यक था। निधि का उपयोग, संसद में प्रस्तुत किए गए अनुदानों की मांगों के मामले के रूप में, मानक विषय शीर्षों के माध्यम से सूचित किए जाएंगे और इस प्रकार, यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) किसी एक वर्ग के लोगों या व्यक्तिगत के लाभ हेतु लोक धन से व्यय अनुमत नहीं करती जब तक कि व्यय मान्यताप्राप्त नीति या व्यवसाय के अनुसरण में नहीं था। इसके अतिरिक्त, यदि उद्देश्य, अधिकारियों/अधिकारियों के परिवार के सदस्यों, जिन्होंने अन्वेषण/गिरफ्तारी कार्रवाई के दौरान क्षति/मृत्यु का सामना किया, को आवृत करना तथा अधिकारियों हेतु आवृत उच्च जोखिम बीमे के प्रावधान को शामिल करना है, तो भारत सरकार की निर्दिष्ट योजना के अंतर्गत प्रावधान किया जा सकता है या ऐसे उद्देश्यों हेतु वर्तमान निधियों के अंतर्गत विद्यमान प्रावधानों में सम्मिलित किया जा सकता है। निधि/योजना को सरकारी कार्यों को पूरा करने में समान जोखिमों का सामना करने वाले अन्य विभागों के अधिकारियों/स्टाफ पर भी लागू किया जाना चाहिए। उल्लेखित दिए अन्य उद्देश्यों को मंत्रालय की अनुदानों हेतु माँग में मानक विषय शीर्षों 'पुरस्कार', 'चिकित्सा उपचार', 'कार्यालय व्यय', 'सहायता अनुदान' के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है।

इस मामले पर पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में चर्चा की गई थी। सितम्बर 2010 की अपनी कार्रवाई टिप्पणी में मंत्रालय ने बताया कि निधि का सृजन विस्तृत जाँच तथा जनवरी 1998 में वित्त मंत्रालय द्वारा परिणामी स्वीकृति के पश्चात किया गया था। इसने यह भी बताया कि निधि के सृजन की उत्पति वी.डी.आई.एस.- 97 योजना, जिसमें सामान्य कर संग्रहण से अधिक लगभग ₹10,700 करोड़ के अतिरिक्त कर का संग्रहण किया गया था, के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में निहित है। तथापि, निधि का सृजन न तो संसद द्वारा न ही मंत्रीमंडल द्वारा अनुमोदित था; सामान्य वित्तीय नियमावली किसी एक वर्ग के लोगों अथवा व्यक्तिगत के लाभ हेतु लोक धन से व्यय को अनुमत नहीं करती है तथा निधि की उपयोगिता, संसद में प्रस्तुत किए गए अनुदानों की माँगों के मामले के रूप में मानक विषय के माध्यम से सूचित नहीं किए जाएंगे तथा संसद को वित्तीय सूचना से समझौता किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2010) कि ₹100 करोड़ के संचित कार्पस से कोई व्यय नहीं किया गया था तथा अगस्त 2007 में निधि के प्रारम्भ से इस निधि में कोई ब्याज क्रेडिट नहीं किया गया था।

2.8 संसद द्वारा विघटित एक निधि का अप्राधिकृत संचालन

कोयला खान श्रमिक आवासिय तथा सामान्य कल्याण निधि (निधि) को 1947 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। कोयला तथा कोक के प्रेषण पर सरकार द्वारा उदग्रहित उपकर को प्राप्ति-शीर्ष- "0038-संघ के उत्पाद शुल्क " में जमा कराया गया था तथा इस उपकर के कारण संग्रहित राशि का कुछ भाग अधिनियम के अंतर्गत इस निधि को अंतरित किया जाना था। 1947 के अधिनियम को 1986 में संसद द्वारा पारित अन्य अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 1986 के अधिनियम ने कोयला श्रमिक आवासीय बोर्ड को विघटित किया तथा अभिकल्पना की कि अक्तूबर 1986 से लागू पूर्ण अधिनियम के अंतर्गत संस्थापित ''कोयला खान श्रमिक आवासीय तथा सामान्य कल्याण निधि'' के आवासीय खाते तथा सामान्य कल्याण खाते में जमा कराने हेतु पड़े सभी धन तथा रोकड़ शेष भारत की समेकित निधि का हिस्सा होंगे तथा जमा कराया जाएगा।

मंत्रालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने 1986 के अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में निम्नलिखित असंगतियाँ प्रकट कीः

(i) 1 अक्तूबर 1986 तक आवासीय सामान्य कल्याण निधि में पड़े रोकड़/धन को अधिनियम की शर्तों के अनुसार भारत की समेकित निधि में जमा नहीं कराया गया था।

(ii) निधि में शेषों का वर्ष दर वर्ष आधार पर कोयला कल्याण विकास निधि के अंतर्गत संचालन किया जाना जारी था तथा 2009-10 तक इसे मंत्रालय के वित्त लेखे में दर्शाया गया ।

(iii) निधि लेखे में शेषों का उपयोग कोयला मंत्रालय के धनबाद में वेतन एवं लेखा कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय (क्षे.वे.ले.का.) की स्थापना व्यय को इस तर्क पर कि उस कार्यालय हेतु कोई अलग बजट नहीं पूरा करने हेतु किया जा रहा था। 1987-88 तथा 2009-10 के बीच निधि में से ₹10.43 करोड़ की राशि को स्थापना व्यय के रूप में अप्राधिकृत रूप से व्यय किया गया था।

(iv) 1986 के अधिनियम द्वारा 1 अक्तूबर 1986 से निधि को समाप्त करने के बावजूद निधि में प्राप्तियों का प्रवाह प्रति वर्ष जारी रहा। 1986-87 की समाप्ति पर निधि में ₹7.56 करोड़ का शेष था। 1987-88 और 2009-10 के बीच निधि से ₹14.30 करोड़ के और अंतर्वाह तथा ₹10.43 के बहिर्वाह थे।

मंत्रालय कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि (निरस्त) अधिनियम, 1986 प्रावधानों को संसद द्वारा इसके पारित किए जाने के बाद 24 वर्षों के पश्चात भी कार्यान्वित करने में विफल रहा तथा इस प्रकार, संसद के प्राधिकार को कमजोर करते हुए लोक व्यय के

अतिरिक्त अप्राधिकृत व्यय को पूरा करने हेतु विघटित निधि का संचालन जारी रखा। इसके अतिरिक्त, कोयला मंत्रालय के व्यय का आंकड़ा, इन वर्षों के शुरू से अंत तक कम बताया गया था क्योंकि आर.पी.ए.ओ. धनबाद को स्थापना व्यय, भारत की समेकित निधि में दर्ज व्यय आंकड़े में शामिल नहीं था।

मामला अक्तूबर 2010 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर नवम्बर 2010 तक प्रतीक्षित था।

2.9 नि.म.ले.प. की सलाह के बिना लेखांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन की निरंतरता

लेखापरीक्षा ने अनियमित तरीके के बारे में वर्ष 2008-09 हेतु नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.-1 के पैरा 2.8 तथा 2010-11 के प्रतिवेदन सं.-14, (कैन्टीन भण्डारण विभाग के निष्पादन लेखापरीक्षा) के अध्याय-III, पैरा 3.3 में इंगित किया है जिसमें रक्षा मंत्रालय नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह के बिना कैन्टीन भण्डारण विभाग हेतु 'सहायता अनुदान' की बजाए एक अलग विषय शीर्ष 'अंशदान' के अंतर्गत 2005-06 से 2009-10 के दौरान ₹448 करोड़ का व्यय दर्ज कर रहा था।

इसकी चर्चा पहले भी क्रमशः नि.म.ले.प. के 2007 के प्रतिवेदन सं-1 के पैरा 7.21 तथा 2007 की सं.-13 में पैरा सं.7.23 में की गई थी। उपरोक्त अनियमित प्रक्रिया ने इन राशियों की उपयोगिता पर वित्तीय नियंत्रणों को कम किया क्योंकि सामान्य वित्तीय नियमावली के अंतर्गत केवल 'सहायता अनुदान' हेतु ही उपयोग प्रमाण पत्रों के लिए ही आग्रह किया जा सकता था। यद्यपि, विषय शीर्ष 'सहायता अनुदान' तथा 'अंशदान' दोनों ही वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 8 के अंतर्गत मानकीकृत विषय शीर्ष हैं फिर भी विषय शीर्ष 'अंशदान' को अभिप्रेत अन्तर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता के प्रति व्यय को वर्गीकृत करना है। अलग विषय शीर्ष सहायता अनुदान के प्रावधानों को प्रदर्शित करने हेतु विद्यमान है। इसलिए, 'अंशदान' शीर्ष के अन्तर्गत के.भ.वि. संवितरणों को दर्ज करना गलत है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को वर्ष 2008-09 हेतु नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1-संघ सरकार के लेखे के लेखापरीक्षा पैरा सं. 2.8 के लिए अक्तूबर 2010 तक पहली बार के लिए भी कार्रवाई टिप्पणी को अभी भी प्रस्तुत करना है।

मंत्रालय कोई उपचारी/शोधक कार्रवाई किए बिना अनियमित प्रक्रिया के साथ बना रहा। शीर्ष 2075.00.108.01.00.32- अंशदान के अंतर्गत 2005-06 से 2010-11 की अवधि के दौरान हुए/प्रदान किए गए अनियमित व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः-

तालिका 2.1 अंशदान के रूप में दर्ज व्यय

(₹करोड़ में)

वर्ष	सहायता अनुदान की बजाए 'अंशदान' के रूप में दर्ज व्यय की राशि
2005-06	77.38
2006-07	73.12
2007-08	91.82
2008-09	83.95
2009-10(ब.आ.)	114.01
2010-11(ब.आ.)	141.77
योग	**582.05**

लेखांकन नीति में एक ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह जैसा कि भारत के संविधान के अंतर्गत अपेक्षित है के बिना किया गया था। इसने गम्भीरता से ऐसे संवितरणों की जवाबदेही कम की। यह विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि ऐसे संवितरण इकाई/संरचना तक फैल गए तथा इकाई की रेजिमेन्टल निधि का भाग बन गए। सहायता अनुदानों को सेवाओं द्वारा रेजिमेन्टल निधि में क्रेडिट किया गया था तथा सभी उद्देश्यों के लिए प्राप्तकर्ता के हाथों में गैर-लोक निधि के रूप में माना गया था। विषय शीर्ष 'अंशदान' के अंतर्गत इस व्यय का प्रावधान एवं दर्ज करना गलत था क्योंकि भुगतान की प्रकृति भारत की समेकित निधि से अनुदान के समान रहती थी।

2.10 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफार्मा लेखे की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमावली अनुबंध करती है कि वाणिज्यिक या अर्धवाणिज्यिक प्रकृत्ति के विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम सहायक लेखे तथा प्रोफार्मा लेखे, जैसा भी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, का अनुरक्षण करेंगे। मार्च 2010 तक वाणिज्यिक या अर्धवाणिज्यिक प्रकृत्ति के 43 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणामों का प्रोफार्मा लेखे, जिसमें सामान्यतः व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र सम्मिलित होते हैं, तैयार करके वार्षिक रूप से सुनिश्चित किया जाता है। जबकि भारत सरकार की प्रैस व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र के बिना प्रोफार्मा लेखे तैयार करती हैं फिर भी प्रकाशन विभाग ने केवल भण्डारण लेखा तैयार करता है। उनके नवीनतम उपलब्ध लेखों के आधार पर विभागीय रूप से प्रबंधित उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों की स्थिति को **परिशिष्ट-II-ख** में दिया गया है।

परिशिष्ट से यह देखा जा सकेगा कि 37 उपक्रमों के संबंध में प्रोफार्मा लेखे एक ग्यारह वर्षों के बीच की अवधि के लिए बकाया थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.2: अवधि जिसके लिए प्रोफार्मा लेखे बकाया पड़े थे

वर्षों की संख्या	अवधि	उपक्रमों की संख्या
1-3	2007-08 से 2009-10	26
4-7	2003-04 से 2006-07	8
8-11	1999-2000 से 2002-03	3
	योग	**37**

तीन उपक्रम जिनके प्रोफार्मा लेखे 8-11 वर्ष की अवधि के लिए बकाया थे वे फिल्म प्रभाग (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय), विद्युत विभाग, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (विद्युत मंत्रालय) तथा प्रकाशन विभाग (शहरी विकास मंत्रालय) हैं।

प्रोफार्मा लेखे के अभाव में, इन संगठनों, जिन्हें वाणिज्यिक आधार पर प्रबंधित किया जाना नियत है, द्वारा प्रदत्त सेवाओं की लागत का पता नहीं लगाया जा सकेगा। उनकी गतिविधियों हेतु निवेश पर वापसी, लाभकारिता आदि जैसे निष्पादन संकेतकों को निर्धारित करना भी संभव नहीं था।

2.11 हानियों तथा गैर-वसूलनीय देयों को बट्टे खाते में डालना/अस्थगित करना

मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई वर्ष 2009-10 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई/अस्थगित की गई हानियों तथा गैर-वसूलनीय देयों को **परिशिष्ट-II-ग** में दिया गया है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकेगा कि 2009-10 के दौरान, 218 मामलों में, ₹4.02 करोड़ बट्टे खाते में डाले गए थे। वर्ष के दौरान, 138 मामलों में किए गए अस्थगित की वसूलियाँ तथा किए गए अनुग्रह भुगतान कुल ₹1.02 करोड़ तक थे।

2.12 अन्य अभ्युक्तियाँ

2.12.1 बाह्य ऋण का लेखांकन कम बताना

ऋणदाता देशों अथवा विदेशी संस्थानों से भारत सरकार द्वारा प्राप्त बाह्य ऋणों को विनिमय की ऐतिहासिक दर, जो कि लेन-देन/प्राप्ति की तिथि पर प्रचलित दर है, पर सरकारी लेखे में दर्ज किया गया है। पुनर्भुगतान विनिमय दर में अनुवर्ती परिवर्तनों के कारण लेखे के आधार पर परिकलित देय राशि से काफी अधिक हैं। इस अधिक भुगतान को प्रत्येक वर्ष नकारात्मक अंत शेष के रूप लेखे में दर्शाया गया था। शेष ऋण, जिन्हें अभी तक पूरी तरह वापस नहीं किया गया है, सकारात्मक शेषों के साथ लेखे में प्रकट हुए। बाद में, जब बाह्य ऋण जोड़े गए इसे नकारात्मक तथा सकारात्मक शेषों को निबल करने के कारण कम बताया गया।

इसी प्रकार, विशेष देश से प्राप्त ऋण के शेषों ने भी ऋण के सही आंकड़े प्रकट नहीं किए हैं क्योंकि एक विशेष देश ने कई परियोजनाओं हेतु ऋण दिए हैं जिन्हें अलग से दर्ज किया गया है। इनमें से, कुछ परियोजनाओं पर ऋणों को पहले ही अदा किया जा चुका है परन्तु विनिमय परिवर्तनों के कारण भुगतान अभी भी किए जा रहे है लिन्हें नकारात्मक शेष के रूप में दर्ज किया गया है। यह नकारात्मक शेष, जब जोड़ा गया, ने उस विशेष देश से बकाया ऋण के शेषों को कम बताया है।

इस प्रकार, ₹1,34,083 करोड़ के बाह्य ऋण के आंकड़े, जो वित्त लेखे में प्रकट हो रहे हैं, बकाया बाह्य ऋण के वास्तविक आकार को प्रदर्शित नहीं करते हैं। विवरणी सं. 14[4] के नीचे नोट के अनुसार, मार्च 2010 के अंत में वर्तमान दर पर बाह्य ऋण ₹2,49,306 करोड़ था। इस प्रकार, विनिमय की ऐतिहासिक दर पर लेखे में बाह्य ऋण को अंकित करना देयता का सही प्रतिबिंब नहीं है।

ले.म.नि. ने बताया कि विनिमय परिवर्तन के कारण ऋणात्मक शेष थे जिनका ऋणों के पूर्ण रूप से लौटाने के बाद ही समाधान किया जाएगा। यद्यपि, विनिमय के ऐतिहासिक दर पर बाह्य ऋण के वास्तविक परिमाप के संदर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

2.12.2 दिए गए कर्जों के निबंधन एवं शर्तों को अंतिम रूप न दिया जाना

वित्त लेखे की विवरणी सं. 3[5], जिसमें संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों के ब्यौरे शामिल हैं, ने दर्शाया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी कैंसर संस्थान तथा अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली को ₹29.29 करोड़ प्रदान किया गया था और कर्जे की सम्बन्धित प्राथमिक अवधि 1994-95 थी, परन्तु ऋणों के निबन्धन एवं शर्तों को अभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

यह देखा जा सकता है कि कर्ज प्रदान करने के 15 वर्षों के अंतराल के बाद भी, कर्जों के निबन्धन एवं शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। यह प्रदान किए गए कर्जों की वसूली तथा अन्य पहलुओं के संबंध में प्रबंधन मंत्रालय का विचारशील प्रस्ताव नहीं दर्शाता था।

लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) ने बताया कि मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया था तथा लेखापरीक्षा को इस संबंध में आगे की गतिविधि सूचित किया जाएगा। यह मामला 2000 के प्रतिवेदन सं. 1 (पैरा 8.11) में उजागर किया गया था और उस समय भी ले.म.नि. का यही उत्तर था।

[4] विवरणी 14: ऋण एवं सरकार के दायित्व वाले अन्य बचत की विवरणी

[5] विवरणी 3: संघ सरकार द्वारा कर्जे एवं पेशगियाँ

2.12.3 कार्यक्रमों की नामावली के प्रति लघु शीर्ष संख्याओं का आवंटन न किया जाना

निम्नलिखित मामलों में वित्त लेखे की विवरणी सं. 10[6] बार विवरणी सं.14 में 'कार्यक्रमों' के नामावली के प्रति लघु शीर्ष संख्याओं का आबंटन नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:-

तालिका 2.3 नामावली संख्याओं का आवंटन न किया जाना

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम की नामावली
विवरणी सं. 10			
1.	4216	01	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य सेवा श्रेणी के लिए घर
2.	4216	01	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए घर
3.	4216	02	औद्योगिक आवास
4.	4216	02	श्रम कालोनियों के निवासियों के स्थानांतरण हेतु आवास
5.	4216	02	कैन्टीन भण्डारण विभाग
6.	4216	02	झुग्गी झोपड़ी को हटाने की योजना
7.	4216	02	आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना
8.	4216	02	औद्योगिक श्रमिकों हेतु योजना
9.	4216	02	गंदी बस्ती सुधार
10.	4216	02	सरकारी कर्मचारियों हेतु आवास स्थान
11.	4216	02	भूमि के अधिग्रहण तथा विकास हेतु दि.वि.प्रा.
12.	4216	02	गांव, अटावा से बेदखलों के लिए आवास
13.	4701	01	टिकापारा नारज बाँध
14.	4701	02	दमन गंगा परियोजना
15.	4711	02	दमन गंगा परियोजना
16.	4711	02	ब्रह्मपुत्र नदी में निकर्षण
17.	4861	01	हजीरा पर अंतिम संवर्धन संयंत्र
विवरणी सं. 14			
18.	6002	00	आस्थगित भुगतान क्रेडिट के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन हेतु जापान सरकार से प्राप्त विविध भण्डारण

लेखा महानियंत्रक ने बताया (सितम्बर 2010) कि नए लघु शीर्ष के आबंटन हेतु मामला संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ उठाया गया था और इस संबंध में आगे की प्रगति से लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

[6] विवरणी 10: वर्ष के दौरान एवं वर्ष के अंत तक पूंजीगत लेखा पर व्यय की विवरणी

2.12.4 संघ सरकार द्वारा कर्जों को गलत दर्शाना

वित्त लेखे 2008-09 (अथवा पहले के वर्ष) की विवरणी सं. 3 में, नीचे उल्लेखित मंत्रालयों/राज्यों/संगठनों को कर्ज अदा किए गए दर्शाए गए थे। तथापि, यह दर्शाए बिना कि वर्ष 2009-10 के दौरान इन राज्यों/संगठनों से क्या बकाया कर्जों को प्राप्त किया गया/बट्टे खाते में डाला गया, वर्ष 2009-10 के लिए विवरणी सं. 3 से इन कर्जों के ब्यौरे को हटा दिया गया था।

तालिका 2.4 (क) वित्त लेखे 2009-10 में कर्जों का दर्शाया न जाना

क्र.सं.	मंत्रालय/ विभाग	राज्य/सं.शा.क्षे/संगठन	अवधि जिससे कर्ज संबंधित है	31.3.2009 तक कुल बकाया कर्ज (₹लाख में)
1.	का.यो.शि.	बिहार	2000-01	29.50
2.	-वही-	नागालैण्ड	2007-08	31.95
3.	सूचना प्रौद्योगिकी	केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स लि.	1982-83	58.45
4.	रसायन	हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाईडस लि.	1981-82	909.00
5.	भारी उद्योग	बर्न स्टेर्डड कम्पनी	1985-86	8935.00
6.	-वही-	एनर्डयू यूले एण्ड कम्पनी	1992-93	13348.00
7.	-वही-	रिचर्डसन एण्ड क्रूर्डस लि.	1981-82	10118.00
8.	-वही-	तंगभद्रा इस्पात उत्पाद	1980-81	9241.00
9.	-वही-	भारत प्रोसिस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर लि.	1981-82	1602.00
10.	-वही-	भारत ब्रेकर्स एण्ड वाल्वस लि.	1979-80	327.00
11.	-वही-	भारत यंत्रा निगम लि.	1992-93	1852.00
12.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	इंतास	2004-05	350.00
13.	-वही-	जैवविज्ञान ई लि.	2004-05	750.00
14.	-वही-	प्रोमईड निर्यात	2004-05	200.00
15.	-वही-	विरचाऊ बायोटेक	2005-06	345.00
16.	-वही-	भारत बायोटेक इंटरनेशनल	2005-06	750.00
17.	-वही-	डाबर अनुसंधान प्रतिष्ठान	2004-05	200.00
18.	-वही-	डालमिया अ.एवं वि. केन्द्र	2004-05	55.00
19.	खनन	सिक्किम खान निगम	1991-92	54.00

क्र.सं.	मंत्रालय/ विभाग	राज्य/सं.शा.क्षे/संगठन	अवधि जिससे कर्ज संबंधित है	31.3.2009 तक कुल बकाया कर्ज (₹लाख में)
20.	इस्पात	मोकोन लि.	2006-07	107.00
21.	जहाजरानी	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	1982-83	14987.00
22.	-वही-	जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास	2003-04	959.04
23.	रेलवे	ईस्ट कोच रेलवे	1973-74	0.76
24.	शहरी कार्य	हिन्दुस्तान प्री-फेबस लि.	1974-75	5395.00

कर्जों की वर्तमान स्थिति के संबंध में उत्तर देने के बजाय लेखा महानियंत्रक ने बताया (सितम्बर 2010) कि संबंधित मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए थे तथा उत्तरों की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

(ख) यह देखा गया है कि 2007-08 तथा पहले की अवधि के दौरान दिए गए नीचे उल्लेखित कर्जे एवं पेशगियाँ पृथक वित्त लेखे-2009-10 में शामिल हो रहे हैं। तथापि, इन कर्जे एवं पेशगियों के ब्यौरे वित्त लेखे- 2008-09 में प्रदर्शित नहीं किए गए थे।

तालिका 2.4 (ख) वित्त लेखे 2008-09 में कर्जों का दर्शाया न जाना

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	राज्य/सं.शा.क्षे/संगठन	अवधि जिससे कर्ज संबंधित है	31.3.2010 तक कुल बकाया कर्ज (₹लाख में)
1.	रसायन और पेट्रो रसायन	हिन्दुस्तान ईन्सेक्टिससार्डल	2005-06	3402.00
2.	भारी उद्योग	एन्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी	2007-08	5972.00
3.	-वही-	रिचर्डसन एण्ड क्रूडस लि.	1990-91	10178.00
4.	-वही-	तंगभद्रा इस्पात उत्पाद	1972-73	9976.00
5.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	ए.बी.एल. जैव प्रौद्योगिकी	2005-06	45.40
6.	-वही-	भारत सेरमस एण्ड वैक्सिनस	2005-06	190.41
7.	-वही-	सुदर्शन बायोटेक लि.	2005-06	22.40
8.	-वही-	बायोमिक्स नेटवर्क लि.	2005-06	139.80
9.	-वही-	बिगटेक प्रावेइट लि.	2005-06	21.00
10.	-वही-	लूपिन लि.	2005-06	114.46
11.	जहाजरानी	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	1995-96	31801.26
12.	-वही-	पाराद्वीप पत्तन न्यास	1986-87	36786.00

वित्त लेखे 2008-09 में उपरोक्त कर्जों का न दर्शाया जाना यह प्रदर्शित करता है कि मंत्रालय/विभाग सिविल लेखा नियम-पुस्तक 2005 के पैरा 4.29.1 में विनिहित प्रपत्र सी.ए.एम.-29 में कर्जों का रजिस्टर अनुरक्षण एवं अद्यतन नहीं कर रहे हैं चूंकि तंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि. को 1972-73 से पहले संवितरित कर्जों को वर्ष 2009-10 में लेखाओं में प्रदर्शित किया गया था।

उत्तर में, लेखा महानियंत्रक ने बताया संबंधित मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए थे तथा उत्तरों की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा।

2.12.5 विनिवेश तथा इसका लेखाओं में समायोजन में अंतर

2009-10 के लिए वित्त लेखे में दर्ज करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में संघ सरकार की इक्विटी धारिता के विनिवेश से प्राप्ति ₹2232.81 करोड़ थी। इक्विटी के मूल्य, जिसका विनिवेश किया गया था, को विवरणी सं.10 एवं 12[7] जो प्रगामी परिव्यय दर्शाता है तथा विवरणी सं.11[8] जो सा.क्षे.उ. आदि के इक्विटी/पूंजीगत आधार में सरकारों के निवेश को दर्शाता है, में से कम करना अपेक्षित था।

तथापि, विनिवेश के कारण वित्त लेखे की विवरणी 10 तथा 11 में ₹1114.63 करोड़ प्रभावी किए गए थे। इस प्रकार, विनिवेश की प्राप्तियों तथा लेखे में किए विनिवेश के समायोजन के बीच ₹1118.18 करोड़ का अंतर था।

लेखा महानियंत्रक ने बताया कि इस संबंध में सूचना प्रस्तुत करने हेतु विद्युत मंत्रालय को निर्देश जारी कर दिया गया था तथा उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

2.12.6 लेखों में बोनस अंशों की प्राप्ति का गैर-समायोजन

वित्त लेखे की विवरणी सं. 8[9] में दर्शाए गए ₹982.82 करोड़ की प्राप्ति बोनस अंश के संबंध में थी। इस राशि के प्रति, केवल ₹972.48 करोड़ का समायोजन सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सा.क्षे.उ.) जिनसे बोनस अंश प्राप्त किया गया था, के प्रति विवरणी सं. 11 में दर्शाया गया था। सा.क्षे.उ. का ब्यौरा जिनसे ₹10.34 करोड़ की राशि का बोनस अंश प्राप्त किया गया था विवरणी सं. 11 में दर्शाया जाना था।

लेखा महानियंत्रक ने बताया कि ₹10.34 करोड़ की शेष राशि को दर्ज करने के संबंध में रक्षा मंत्रालय को उल्लेख किया गया था।

[7] विवरणी 12: वर्ष के दौरान तथा तक क्षेत्रवार पूंजीगत व्यय तथा कर्ज एवं पेशगी तथा वित्तपोषण के स्रोत
[8] विवरणी 11: संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों आदि में कुल निवेश
[9] विवरणी 8: लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों का विस्तृत लेखा

2.12.7 एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स का विलयन

भारत सरकार ने मार्च 2007 में एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाईनस का विलयन स्वीकृत किया। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत एक नई कम्पनी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय विमानन कम्पनी लि. (एन.ए.सी.आई.एल.) निगमित की गई थी। तथापि, 2009-10 के वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 में ₹153.84 करोड़ के निवेश के साथ एयर इण्डिया, ₹432.14 करोड़ के निवेश के साथ इंडियन एयरलाईनस तथा ₹800.05 करोड़ के निवेश के साथ एन.ए.सी.आई.एल को अलग कम्पनियों के रूप में दर्शाया जा रहा है।

यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय विमानन कम्पनी लि. के साथ एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाईनस के संलयन की योजना सभी तीनों कम्पनियों के निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत थी फिर भी वर्ष 2009-10 के लिए संघ वित्त लेखे में इन्हें तीन अलग सा.क्षे.उ. के रूप में दर्शाया जा रहा है।

इस विषय पर पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में टिप्पणी की गई थी परन्तु अभी तक न ही कोई विवेकी प्रगति पाई गई और न ही बतायी गई।

2.12.8 ज.वि.नि.स. को दिए गए कर्ज का गलत बताया जाना

जहाजरानी विकास निधि समिति (ज.वि.नि.स.) दिसम्बर 1986 में समाप्त हो गई थी तथा इसकी सभी परिसम्पत्तियाँ एवं देयताओं को ज.वि.नि.स. (समापन) अधिनियम, 1986, की धारा 4 के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अंतरित किया गया था। तथापि, वर्ष 2009-10 के संघ वित्त लेखे की विवरणी 15[10] में, ₹62.42 करोड़ का कर्ज ज.वि.नि.स. के प्रति बकाया के रूप में अभी भी दर्शाया गया था। चूंकि ज.वि.नि.स. की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को पहले ही केन्द्रीय सरकार को अंतरित कर दिया गया था, यह स्पष्ट नहीं था कि केन्द्रीय सरकार कैसे स्वयं के विरूद्ध बकाया कर्ज दर्शा रही थी।

ले.म.नि. ने बताया (नवम्बर 2010) कि मामला स्पष्टीकरण हेतु आर्थिक कार्य विभाग को प्रेषित कर दिया गया था।

2.12.9 कर्मचारी पेंशन निधि के शेष में समाधान न की गई असंगति

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अनुसार, कर्मचारी पेंशन निधि को केन्द्र सरकार के अंशदान को भारत सरकार के लोक लेखे में रखा जाना होता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संघ सरकार के लेखाओं में भु. एवं ले.का. द्वारा आवश्यक समायोजनों हेतु अंशदान (तथा उस पर ब्याज हेतु) को केन्द्र सरकार के अंश के संबंध में संस्वीकृतियां जारी करता है। संस्वीकृतियों की प्रतियाँ इसके वार्षिक लेखे में आवश्यक प्रविष्टियाँ

[10] विवरणी 15: संघ सरकार द्वारा कर्जे एवं पेशगियों की विवरणी

करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) को भी प्रेषित की जाती है। इस प्रकार, कर्मचारी पेंशन निधि को पेंशन अंशदान को सरकारी अंश के शेष, जैसा कि लोक लेखे तथा क.भ.नि.सं. के लेखे में अंकित किया गया है, से मेल खाने चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 2007-08 के लिए क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखे के अनुसार, वर्ष 2007-08 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे में अंकित ₹36,939.04 करोड़ के प्रति पेंशन निधि को केन्द्र सरकार का अंशदान (ब्याज सहित) ₹36,809.06 करोड़ था जो दो वित्तीय दस्तावेजों में उत्पन्न ₹129.98 करोड़ का अंतर बढ़ा रहा था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2010) कि ₹129.98 करोड़ के बताए गए अन्तर का समाधान कर दिया गया था तथा यह अंतर वर्ष 1990-91 तक लेखे में उसी मुख्य शीर्ष '8342-अन्य जमा' के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन निधि के अंतर्गत कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना (क.ज.जु.बी.यो.) के आंकड़ों की अतिव्याप्ति के कारण था और कि अंतिम समाधान के बाद, शोधन को 2009-10 के वित्त लेखे में दर्शाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2010) कि अंत तक अभी भी आंकड़े की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका था तथा वास्तविक राशियों के अभाव में शोधन नहीं किए जा सके।

इस विषय पर पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी चर्चा की गई थी परन्तु अभी तक कोई विवेकपूर्ण प्रगति नहीं पाई गई है। इस त्रुटि से निपटने के लिए नियमित समाधान की आवश्यकता है।

2.12.10 2007-08 के वित्त लेखाओं पर निपटान न की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

दो वर्षों के बीत जाने के बावजूद 2007-08 के लिए वित्त लेखे से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर विस्तृत कारणों को लेखा महानियंत्रक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश, जैसा कि संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी स.11 में अंकित किया गया है, 31.3.2007 तक ₹15,915.55 करोड़ था। 31.3.2008 को यह ₹11,806.97 करोड़ तक कम हो गया तथा वित्त लेखे में 'समाधान के कारण' को कारण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

(ख) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम लिमिटेड में निवेश, जैसा कि संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं.-II में अंकित किया गया है, 'समाधान के कारण' के रूप में वित्त लेखे में दर्शाए गए कारण के साथ 2006 -07 में ₹174.91 करोड़ से 2007-08 में ₹173.08 करोड़ तक कम हुआ था।

वर्ष 2008-09 के लिए वित्त लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने उपरोक्त मामलों में निवेश के आंकड़ों में भिन्नता के लिए विस्तृत कारणों को पूछा। तथापि, सही एवं विस्तृत कारणों को प्रस्तुत करने की बजाय, लेखा महानियंत्रक ने बताया कि मामला वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग और पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेज दिया गया था तथा उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा।

लेखा महानियंत्रक के उत्तर से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसे नेमी प्रकार का मामला माना गया और जहां तक सरकारी लेन-देन के सही एवं उचित कार्य दर्शाने की स्थिति का वित्त लेखे में समझौता किया जाता है।

2.12.11 संघ सरकार द्वारा दिए गए गर्ज का अद्यतन न होना

निम्नलिखित बकाया कर्जों के प्रति कई वर्षों से वित्त लेखे की विवरणी सं.3 में इनकी बकाया मूल राशि में अथवा बकाया कर्जों की कुल राशि में बिना किसी बदलाव के साथ उसी स्थिति को अंकित किया जा रहा है।

(₹लाख में)

मंत्रालय	राज्य/संगठन	बकाया मूल	कुल बकाया कर्ज	पहले की अवधि जिससे कर्ज संबंधित है
उद्योग	मध्य प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर तथा त्रिपुरा	29.73	519.24	1992-93 से 1995-96

इंगित किए जाने पर लेखापरीक्षा महानियंत्रक ने सामन्य उत्तर प्रस्तुत किया कि मामला उद्योग मंत्रालय को पहले ही प्रेषित कर दिया गया था तथा इस संबंध में आगे की गतिविधि से लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखाओं में सही स्थिति बताई गई है, इस मामले के लिए तुरन्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

2.12.12 लेखाओं में कर्ज का इक्विटी के रूप में परिवर्तन नहीं दर्शाया गया

वित्त लेखे की विवरणी-3 के अनुसार ₹86.79 करोड़ की राशि के कर्जों को बर्डस ग्रुप आफ कम्पनीस के संबंध में इक्विटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इस परिवर्तन के प्रभाव को सम्बन्धित सा.क्षे.उ. में सरकारी इक्विटी बढ़ाते हुए वित्त लेखाओं की विवरणी सं. 10,11 और 12 में दर्शाया नहीं गया था।

इंगित किए जाने पर, लेखा महानियंत्रक ने बताया कि सामान्य रूप में इस सम्बन्ध में इस्पात मंत्रालय को उल्लेख कर दिया गया था और उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। ऐसे मामले, यदि तुरन्त ध्यान में लिए जाए, तो लेखाओं में अधिक परिशुद्धता लाने में समर्थ होंगे।

2.12.13 बंद किए गए लघु शीर्ष का प्रचालन

मुख्य शीर्ष 8658-उचन्त लेखा के अंतर्गत लघु शीर्ष 111-विभागीय समायोजन लेखा, विभागीय लेखांकन प्राधिकारियों के खातों में वर्ष 1982-83 के लिए लेखे से निष्क्रिय हो गया। विभिन्न लेखे भेजने वाले प्राधिकरणों को लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, 2008-09 की समाप्ति तक इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेषों का निपटान किया जाना था। तथापि, वित्त लेखे की विवरणी सं.13[11] में, ₹60.80 करोड़ (डे.) लघु शीर्ष के बकाया शेष को दर्शाया जाना जारी था।

लेखा महानियंत्रक ने बताया कि सभी सम्बंधित प्राधिकरणों को शेषों को समाप्त करने हेतु कहा जा रहा था।

2.12.14 लघु शीर्ष का खोला न जाना

लघु शीर्ष '8235-126-केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग' वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रभावी शुद्धि पत्र सं. 669 दिनांक 19 जनवरी 2009 के माध्यम से मुख्य एवं लघु शीर्ष लेखा की सूची में शामिल किया गया था। जबकि लघु शीर्ष वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए वित्त लेखे की विवरणी सं. 13 में लोक लेखा में खोला नहीं गया था।

मंत्रालय ने बताया कि सी.ई.आर.सी. निधि के प्रचालन हेतु अन्य संबंधित शीर्षों को हाल ही में खोला गया था तथा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज करना वर्ष 2010-11 से प्रारम्भ किया जाएगा।

2.12.15 भारतीय स्टेट बैंक(भा.स्टे.बै.) में निवेश

₹9,996.01 करोड़ तक भा.स्टे.बै. के अधिकार मामले में अंशदान एवं ₹35,531.33 करोड़ तक भा.स्टे.बै. में भा.रि.बै. पण की अभिग्रहण लागत को भारतीय स्टेट बैंक में निवेश की एक प्रविष्ट में मिलाने की बजाए वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 में पृथक प्रविष्टि के रूप में दर्शाया गया था।

लेखा महानियंत्रक ने बताया कि इस संबंध में आर्थिक कार्य विभाग को निर्देश कर दिया गया था।

2.12.16 सा.क्षे.उ. से प्राप्त लाभांशों पर डाटा को अद्यतन न किया जाना

वित्त लेखे की विवरणी सं. 11, सा.क्षे.उ. से प्राप्त लाभांश/ब्याज के संबंध में ब्यौरों तथा हानि होने वाले सा.क्षे.उ. के मामलों में अद्यतन संचयी हानि को दर्शाने वाली टिप्पणी कॉलम में सा.क्षे.उ. के कई मामलों को अद्यतन नहीं किया गया था। परिणामतः वित्त विवरणी सा.क्षे.उ. में कार्यों की सही एवं उचित स्थिति को नहीं दर्शाती है।

[11] विवरणी 13: ऋण, जमा, प्रेषण तथा आकस्मिक निधि के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों एवं शेषों की विवरणी

लेखा महानियंत्रक ने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए थे तथा उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

2.12.17 राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (रा.डे.वि.बो.) के अस्तित्व पर गलत सूचना

वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 के टिप्पणी कॉलम में, कृषि मंत्रालय के अधीन, रा.डे.वि.बो., आनंद एक सा.क्षे.उ. को गलती से स्वेच्छा से समाप्त तथा क्रियाकलापों को बन्द करना बताया गया था। रा.डे.वि.बो. को प्रारम्भ में समिति अधिनियम 1860 के अंतर्गत समिति के रूप में पंजीकृत किया गया था, 12 अक्तूबर, 1987 से पहले से मौजूद इंडियन डेरी कारपोरेशन, बड़ौदा, कम्पनी अधिनियम 1956, संसद अधिनियम-रा.डे.वि.बो. अधिनियम 1987 (1987 का 37) के अंतर्गत बनाई गई एवं पंजीकृत कम्पनी के साथ विलीन कर दिया गया था तथा जो कि पूर्ण रूप से अस्तित्व में थी।

लेखा महानियंत्रक ने बताया कि इस संबंध में कृषि मंत्रालय को उपरोक्त टिप्पणी को स्पष्ट करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए थे तथा उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

2.12.18 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सम्बन्ध में गलत सूचना

वित्त लेखे की विवरणी सं.11 में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को, जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत पूर्णरूप से निजी सरकारी उद्यम बताया जा रहा था जबकि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड उनके वेबसाइट पर रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन उद्घोषित की गई है।

इंगित किए जाने पर लेखा महानियंत्रक ने बताया कि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय को निर्देश जारी कर दिए गए थे तथा उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

2.12.19 प्रत्याभूति शुल्क प्राप्ति की राशि में असंगति

संघ सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों को दर्शाने वाली वित्त लेखे की विवरणी सं. 4[12] में, विभिन्न संस्थानों जिनके लिए संघ सरकार प्रत्याभ के रूप में होती है से प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क को ₹445.92 करोड़ बताया गया था जबकि संघ सरकार की प्राप्तियों को दर्शाने वाली विवरणी सं.8 में शीर्ष 0075-108-प्रत्याभूति शुल्क के अंतर्गत प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क को ₹622.14 करोड़ बताया गया था।

विवरणी सं. 4 में शेष राशि के लिए प्रत्याभूति शुल्क के ब्यौरों को दर्शाने के लिए इंगित किए जाने पर लेखा महानियंत्रक ने बताया कि इस संबंध में वित्त मंत्रालय को निर्देश जारी कर दिए गए थे तथा उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

[12] विवरणी 4: संघ सरकार द्वारा प्रतिभूतियों पर विवरणी

2.13 लेखे की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक

2009-10 के संघ वित्त लेखे की शुद्धता (i) उचंत शीर्षों के अंतर्गत अंतिम वर्गीकरण की प्रतीक्षा कर रहे लेने-देनों की बड़ी संख्या, (ii) ऋण, जमा एवं प्रेषण (ऋ.ज.प्रे.) लेखाशीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों की बढती संख्या तथा मात्रा तथा (iii) उनके समाशोधन हेतु समय से कार्रवाई में कमी के कारण निरन्तर बकाया शेष जैसे घटकों द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।

लेखापरीक्षा ने ऋण, जमा, प्रेषण तथा उचंत शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों की ले.म.नि. के कार्यालय तथा पांच प्रधान लेखा कार्यालयों (प्र.ले.का.) अर्थात केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बो.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वा.प.क.मं.), सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक (स.ले.ले.नि.), विदेश मंत्रालय (वि.मं.) तथा आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.) में पिछले पांच वर्षों से संबंधित अभिलेखों की एक विस्तृत जांच की थी। इन प्र.ले.का. को, शेषों समाहार तथा वर्षों से उनके संचयन के आधार पर चुना गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

2.13.1 मुख्य उचन्त लेखे के अन्तर्गत बकाया शेष

'उचन्त शीर्ष' नामित लेखे के कुछ मध्यवर्ती/समायोजक शीर्ष उन प्राप्तियों एवं भुगतान के लेन-देन को प्रदर्शित करने के लिए सरकारी लेखाओं में खोले गए हैं जिन्हें उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव या अन्य कारणों के कारण लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। लेखे के इन शीर्षों को ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अन्तिम रूप से तब समाशोधित किया जाता है जब उनके संबंधित अन्तिम शीर्षों में दर्ज किया जाता है। यदि इन राशियों का समाशोधित रहती है तो उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत शेष संचित होगा तथा सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय को भी सही रूप में प्रदर्शित नहीं करेगा।

भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.) द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर लघु-शीर्षवार उचन्त शेषों हेतु खाता उप/वर्गीकृत शीर्षवार भु.ले.का. द्वारा, जहाँ कहीं आवश्यक हो, और प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय के मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक से उचन्त शेषों की समीक्षा करना तथा नियमित मानीटरिंग के उद्देश्य हेतु म.ले.नि. को सूचित किया जाना अपेक्षित है।

31 मार्च 2010 को सिविल, रक्षा, रेलवे, डाक तथा दूरसंचार को सम्मिलित करते हुए संघ वित्त लेखे में उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत कुल निवल शेष ₹16,110.40 करोड़ (डेबिट) था। यह शेष सिविल मंत्रालयों के संबंध में ₹4,795.53 करोड़ (डेबिट), रक्षा के लिए ₹8,240.34 करोड़ (डेबिट), रेलवे से संबंधित ₹1,869.19 करोड़ (डेबिट), डाक के लिए ₹345.83 करोड़ (डेबिट) तथा दूरसंचार के लिए ₹274.16 करोड़ (डेबिट) तथा

भारत सरकार क्षतिपूर्ति विमोचन (ईराक को निर्यात योजना) बंधपत्र 2001 के संबंध में ₹1,133.68 करोड़ (डेबिट) है। वित्त लेखे उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं तथा इसलिए, इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया की वास्तविक महत्ता संसद को प्रस्तुत किये गए सरकार के वार्षिक लेखे में सूचित नहीं की जाती है। इन शीर्षों के अन्तर्गत सही शेष को विभिन्न उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत पृथक रूप से डेबिट और क्रेडिट को केवल संकलित करके परिकलित किया जा सकता है। डेबिट/क्रेडिट शेष को निवल करने से वित्त लेखे में उचन्त शेषों को अर्थपूर्ण न्यूनोक्ति में होता है। यह न्यूनोक्ति लघु शीर्ष के साथ-साथ मुख्य शीर्ष स्तर दोनों में होती है। पिछले पांच वर्षों के लिए सिविल मंत्रालयों (मुख्य शीर्ष 8658) के संबंध में मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत उचन्त शेषों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 2.5: सिविल मंत्रालयों के संबंध में मुख्य उचंत शीर्षों के अंतर्गत उचंत शेषों की स्थिति

										(₹ करोड़ में)
लघु शीर्ष का नाम	**2005-06**		**2006-07**		**2007-08**		**2008-09**		**2009-10**	
	डे.	**क्रे.**	**डे.**	**क्रे.**	**डे.**	**क्रे.**	**डे.**	**क्रे.**	**डे.**	**क्रे.**
101-पी.ए.ओ उचन्त	1720.37	121.15	1844.33	692.30	2882.39	617.77	2512.92	524.57	2880.09	1172.22
निवल	**(-) 599.22**		**(-) 1152.04**		**(-) 2264.62**		**(-) 1988.35**		**(-)1707.87**	
102- उचन्त लेखा (सिविल)	1013.92	308.14	1022.42	308.95	1087.28	10310.30	1608.78	1443.21	1942.11	1447.74
निवल	**(-) 705.78**		**(-) 713.47**		**9223.02**		**(-) 165.57**		**(-)494.37**	
107-रोकड़ निपटान	318.75	16.57	383.18	16.57	362.14	16.58	349.49	16.57	371.03	16.57
निवल	**(-) 302.18**		**(-) 366.61**		**(-) 345.56**		**(-) 332.92**		**(-)354.46**	
108-पी.एस.बी. उचन्त	1690.31	848.86	4979.41`	1029.07	6517.28	782.19	3526.51	1942.36	2435.52	1775.10
निवल	**(-) 841.45**		**(-) 3950.34**		**(-) 5735.09**		**(-) 1584.16**		**(-)660.42**	
109- रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्या.)	261.29	195.48	259.05	185.11	11.37	190.89	11.37	190.04	11.37	185.26
निवल	**(-) 65.81**		**(-) 73.94**		**179.52**		**178.67**		**173.89**	
110- रिजर्व बैंक उचन्त केन्द्रीय लेखा कार्यालय	73.22	312.55	116.12	294.59	209.18	48.57	339.41	47.09	92.02	128.83
निवल	**239.32**		**178.48**		**(-) 160.61**		**(-) 292.32**		**36.81**	
115- विदेश में क्रय इत्यादि	1008.98	-	994.46	-	536.65	-	877.79	-	1894.85	-
निवल	**(-) 1008.98**		**(-) 994.46**		**(-) 536.65**		**(-) 877.79**		**(-)1894.85**	
129- सामग्री क्रय निपटान	124.73	74.00	127.62	96.17	156.31	107.84	167.82	115.88	195.25	143.11
निवल	**(-) 50.74**		**(-) 31.45**		**(-) 48.47**		**(-) 51.94**		**(-)52.14**	
136-प्राप्ति शीर्ष में अन्तरण	-	120.39	-	112.15	-	114.97	-	152.15	-	145.47

हेतु प्रतिक्षित सीमा शुल्क प्राप्तियाँ										
निवल	**120.39**		**112.15**		**114.97**		**152.15**		**145.47**	
138- अन्य नामांकित बैंक (निजी क्षेत्र बैंक)	5.38	3.60	646.05	1449.94	2.34	170.68	1.55	40.38	2.88	100.70
निवल	**(-)1.78**		**803.89**		**168.34**		**38.83**		**97.82**	

टिप्पणी: (-) डेबिट शेष दर्शाता है

यह देखा जा सकता है कि उचन्त लेखा (सिविल), विदेश में क्रय हेतु उचन्त लेखा, सामग्री क्रय निपटान के अंतर्गत डेबिट शेषों में पिछले वर्षों से 2009-10 में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, पी.ए.ओ. उचन्त तथा सामग्री क्रय निपटान के अंतर्गत क्रेडिट शेषों में भी पिछले वर्षों से 2009-10 में वृद्धि हुई है। ले.म.नि. द्वारा ऐसे शेषों के समाशोधन के प्रभावी मानीटरिंग हेतु उचन्त लघु शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का वर्ष-वार ब्यौरा अनुरक्षित नहीं किया गया था।

भु.ले.का. उचन्त

यह लघु शीर्ष संघ सरकार के अन्तर्गत भु.ले.का. संघ शासित क्षेत्रों तथा महालेखाकार के भु.ले.का. के खातों में हो रहे अन्तः विभागीय तथा सरकारी लेन-देनों के समायोजन हेतु प्रचालित किया जाता है। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन एक लेखा अधिकारी के जिसमें प्राप्त लघु शीर्ष "भु.ले.का. उचन्त" परिचालित किया गया है, द्वारा अन्य लेखा अधिकारी की ओर से या तो की गई वसूलियों को या भुगतानों का प्रतिनिधित्व करते है। शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट का समाशोधन 'ऋण क्रेडिट' द्वारा किया जाता है जब लेखा अधिकारी जिसकी किताबों में आरम्भिक वसूली दर्ज की जाती है, द्वारा चैक जारी किया जाता है। 'भु.ले.का. उचन्त' के अन्तर्गत डेबिट का समाशोधन लेखा अधिकारी जिसके पक्ष में भुगतान किया गया था,से चैक की प्राप्ति तथा वसूली होने पर 'ऋण डेबिट' द्वारा किया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष का अर्थ होगा कि किसी भु.ले.का. द्वारा अन्य भु.ले.का. की ओर से भुगतान किए गए, जिनकी वसूली की जानी है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ होगा कि किसी भु.ले.का. द्वारा अन्य भु.ले.का की ओर से भुगतान प्राप्त किए गए है जिनका भुगतान अभी किया जाना है।

मार्च 2010 में, इस शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट शेष ₹2,880.09 करोड़ तथा क्रेडिट ₹1,172.22 करोड़ था। बकाया शेष मुख्य रूप से आपूर्ति मंत्रालय ₹1,914.82 करोड़ (डेबिट); आर्थिक कार्य विभागः ₹629.05 करोड़ (क्रेडिट); के.प्र.क.बो. (राजस्व) : ₹290.82 करोड़ (डेबिट); विदेश मंत्रालयः ₹339.20 करोड़ (डेबिट); सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयः ₹280.51 करोड़ (क्रेडिट); परमाणु ऊर्जा विभागः ₹122.73 करोड़ (क्रेडिट) के संबंध में थे जो इन विभागों/मंत्रालयों द्वारा अन्य भु.ले.का. की ओर से किए

गए भुगतानों (डेबिट) या की गई प्राप्तियों (क्रेडिट) को प्रदर्शित करते हुए जिनकी उनके द्वारा अभी भी 31 मार्च 2010 तक वसूली/भुगतान किए जाने थे। भु.ले.का. उचन्त के अन्तर्गत भारी डेबिट तथा क्रेडिट शेष तथा उन के निरन्तर संचयन ने महत्वपूर्ण नियंत्रण की कमियों को प्रदर्शित करता था।

प्रधान लेखा कार्यालयों के लेखे की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि विदेश मंत्रालय में 2000-01 से 2009-10 की अवधि से संबंधित ₹361.38 करोड़ (डेबिट) तथा ₹22.18 करोड़ (क्रेडिट) बकाया थे जिसमें ₹61.02 करोड़ (डेबिट) तथा ₹74.30 करोड़ (क्रेडिट) शामिल थे जो पांच वर्षों से अधिक से समाधान हेतु लम्बित थे। आर्थिक कार्य विभाग में वर्ष 2009-10 की समाप्ति तक (-)₹3.51 करोड़ (डेबिट) तथा ₹625.54 करोड़ (क्रेडिट) बकाया थे जिसमें (-)₹0.15 करोड़ का डेबिट शेष तथा (-) ₹0.04 करोड़ का क्रेडिट शेष शामिल थे जो चार वर्षों से अधिक से लंबित थे। प्र.ले.का. ने पुराने शेषों के निपटान हेतु किए गए प्रयत्नों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

उचन्त लेखा (सिविल)

यह अस्थायी लघु शीर्ष लेन-देनों के लेखांकन हेतु परिचालित किया जाता है जिसे निश्चित सूचना/दस्तावेजों जैसे कि वाऊचर, चालान आदि की आवश्यकता हेतु व्यय या प्राप्ति के अन्तिम शीर्ष तक नहीं ले जाया जा सकता। इस लघु शीर्ष को प्राप्तियां दर्ज करने हेतु क्रेडिट तथा किए गए व्यय हेतु डेबिट किया जाता है। अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों आदि की प्राप्ति पर पूर्व प्रतिलेखा डेबिट या क्रेडिट द्वारा लघु शीर्ष को 'ऋणात्मक' डेबिट या 'ऋणात्मक' क्रेडिट द्वारा लेखे से वांछित मुख्य/उप-मुख्य/लघु शीर्षों के प्रति समाशोधित किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया डेबिट शेष का अभिप्राय किया गया भुगतान को जिसे वाऊचर आदि जैसे विवरण की अपेक्षा में अन्तिम व्यय शीर्ष को डेबिट नहीं किया जा सका। बकाया क्रेडिट शेष का अभिप्राय प्राप्त की गई राशि जिसे विवरण के अभाव में अंतिम प्राप्ति शीर्ष को क्रेडिट नहीं किया जा सका, से होगा।

31 मार्च 2010 को इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष ₹1,447.14 करोड़ (क्रेडिट) तथा ₹1,942.11 करोड़ (डेबिट) ने दर्शाया कि ₹3,389.85 करोड़ की प्राप्तियां तथा व्यय, जिन्हें समायोजन हेतु व्यक्तिगत रूप से संचालित किया जाना अपेक्षित था, को उनके अंतिम शीर्षों के प्रति दर्ज नहीं किया गया था। मुख्य बकाया शेष आर्थिक कार्य विभाग: ₹833.39 करोड़ (क्रेडिट), गृह मंत्रालय: ₹763.09 करोड़ (डेबिट); विदेश मंत्रालय: ₹513.57 करोड़ (क्रेडिट), उच्च आयोग: ₹435.76 करोड़ (डेबिट) तथा वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग) : ₹606.20 करोड़ (डेबिट) से संबंधित थे।

प्रधान लेखा कार्यालयों में शेषों की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि आर्थिक कार्य विभाग में वर्ष 2009-10 की समाप्ति तक ₹1.53 करोड़ (डेबिट) तथा ₹834.92 करोड़ (क्रेडिट) के शेष बकाया थे जिसमें ₹0.17 करोड़ डेबिट शेष तथा ₹209.92 करोड़ का

क्रेडिट शेष शामिल थे जो चार वर्षों से अधिक से लंबित थे। के.प्र.क.बो. में 1991-92 से 2009-10 की अवधि से संबंधित ₹8.33 करोड़ (डेबिट) तथा ₹0.04 करोड़ (क्रेडिट) के शेष बकाया थे जिसमें ₹0.05 करोड़ (डेबिट) शामिल थे जो पाँच वर्षों से अधिक के लिए निपटान हेतु लम्बित थे। प्र.ले.का. ने बकाया शेषों का निपटान करने के लिए किए गए प्रयत्नों पर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

विदेशों में क्रय हेतु उचन्त लेखा

लघु शीर्ष 'विदेशों में क्रय हेतु उचन्त लेखा' नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा (नि.स.ले.एवं ले.प.), वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के लेखाओं में परिचालित होता है। सरकार दाता को विदेशों में आपूर्तिकर्ताओं को परियोजना प्राधिकारियों/ आयातकों को आपूर्ति की गई सामग्री के प्रति सीधे ही भुगतान करने की तथा समकक्ष राशि को संबंधित लाइन मंत्रालय से भुगतान प्राप्त होने तक उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत रखने की सलाह देती है। यद्यपि सरकार ने इन आयातों के लिए भुगतान पहले ही कर दिए गए है फिर भी इस शीर्ष के अधीन डेबिट शेष उस राशि को दर्शाता है जिसे आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों से अभी वसूल किया जाना है।

2009-10 में, विदेशों में क्रय हेतु उचन्त लेखा शेष ₹1,894.85 करोड़ था। 31 मार्च 2010 को मुख्य देनदार हेलीकॉपटर कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (₹67.24 करोड़); पवन हंस लि. (₹57.44 करोड़); पीराइटस, फोसफेट्स एवं रसायन लि. (₹24.95 करोड़); कोल इंडिया लि. (प.बं.) (₹23.18 करोड़) तथा सात सरकारी मंत्रालय (₹216.11 करोड़) थे। यह भी पाया गया कि 2001 से विभिन्न संगठनों से ₹235.95 करोड़ बकाया थे। मुख्य आयातकों के संबंध में 2001 से बकाया राशि का विवरण दर्शाते हुए सूची **परिशिष्ट-II-घ** में दी गई है। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से यह पाया गया था कि तदनन्तर भुगतान विभिन्न आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों की ओर से किये गये थे जबकि उनसे पहले किए गए क्रय हेतु भुगतान अभी तक देय थे। नि.स.ले.एवं ले. द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

इस विषय पर एक लेखापरीक्षा पैराग्राफ को वर्ष 2008-09 के लिए नि.म.ले.प. की प्रतिवेदन सं. 1 में शामिल किया गया था। मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई टिप्पणी में बकाया कि उचन्त राशि का प्रभावी रूप से पता लगाया जा रहा था तथा मामले का आयातकों के साथ नियमित रूप से अनुसरण किया जा रहा था। उसने यह भी बताया कि ₹534.72 करोड़ की राशि का 31.05.2010 तक निपटान कर दिया गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचन्त

सरकारी लेखा प्रणाली में नामित बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सरकारी व्यवसाय संचालित करते है। जब एक बिल के भुगतान हेतु एक चैक जारी किया जाता है तो

राशि को लेखा के अंतिम शीर्ष को डेबिट किया जाता है। जब एक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक द्वारा चैक को भुनाया जाता है तो यह अपने रोकड़ शेष से राशि का भुगतान करता है तथा इसके बाद केन्द्रीय लेखा अनुभाग (के.ले.अ.), भा.रि.बैं. नागपुर से जो प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग का लेखा अनुरक्षित करता है, प्रतिपूर्ति कर दावा करता है। इसी प्रकार, जब सरकारी प्राप्तियों का नामित/अधिकृत बैंक में भुगतान किया जाता है तो यह प्राप्तियों को केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भा.रि.बैं. नागपुर को देता है। चूंकि सरकारी रोकड़ शेष में, बैंक द्वारा किए सरकारी लेन-देन को दर्ज करने में समय विलम्ब है इसलिए समायोजन की प्रतीक्षा कर रहे लेन-देन हेतु लेखे की सरकारी किताबों में लघु शीर्ष 'सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचन्त' परिचालित किया जाता है। भा.रि.बैं.(के.ले.अ.) नागपुर से लेखे की प्राप्ति पर सा.क्षे.बैं. उचन्त के अन्तर्गत मूल दर्ज (-)क्रेडिट/(-)डेबिट जैसा भी मामला हो द्वारा समाशोधित किया जाता है। ये राशियां सरकार के रोकड़ शेष में दर्शाई नहीं गई हैं।

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु बकाया सा.क्षे.बैं. शेष कुल ₹2,435.52 करोड़ (डेबिट) तथा ₹1,775.10 करोड़ (क्रेडिट) था। विभाग जिनके प्रति मुख्य शेष बकाया थे, वे राजस्व विभाग: ₹352.77 करोड़ (क्रेडिट); केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय: ₹754.71 करोड़ (क्रेडिट); सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय: ₹83.39 करोड़ (क्रेडिट); के.उ.सी.शु.बो.: ₹209.36 करोड़ (डेबिट); गृह मंत्रालय: ₹161.76 करोड़ (क्रेडिट) तथा के.प्र.क.बो.: (राजस्व) ₹1,414.48 करोड़ (डेबिट) थे। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट तथा क्रेडिट शेष वर्षों से बढ़े थे इस प्रकार इसने लेखाओं में सरकारी रोकड़ शेष के उचित प्रकटीकरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। शेषों के समाशोधन हेतु किए गए प्रयासों के बारे में पूछा गया था किन्तु लेखापरीक्षा को कोई उत्तर नहीं किया गया था।

प्रधान लेखा कार्यालयों में शेषों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि के.प्र.क.बो. में, 2009-10 की समाप्ति तक ₹945.66 करोड़ (डेबिट) तथा (-)₹449.57 करोड़ (क्रेडिट) के शेष बकाया थे जिनमें ₹43.35 करोड़ के डेबिट शेष तथा ₹31.87 करोड़ क्रेडिट शेष शामिल थे जो 20 वर्षों से अधिक से लम्बित थे। आर्थिक कार्य विभाग में वर्ष 2009-10 की समाप्ति (-)₹6.13 करोड़ (डेबिट) तथा ₹0.82 करोड़ (क्रेडिट) के शेष बकाया थे जिनमें ₹3.26 करोड़ का डेबिट शेष तथा (-)₹0.76 करोड़ क्रेडिट का शेष शामिल थे जो तीन वर्षो से निपटान हेतु लम्बित थे।

रिजर्व बैंक उचन्त, केन्द्रीय लेखा कार्यालय

संघ सरकार के लेखाओं में कर्जे, सहायता अनुदान, आयकर भाग, और राज्य सरकारों को संघ उत्पाद शुल्क के भाग के भुगतान, हेतु इस लघुशीर्ष को परिचालित किया जाता है। जब भुगतान प्राधिकृत किया जाता है तो इस शीर्ष को संबंधित व्यय शीर्ष डेबिट तथा क्रेडिट किया जाता है। संघ सरकार के लेखे को समायोजन करते हुए

भा.रि.बैं से लेखे के मासिक विवरण की प्राप्ति पर लघु शीर्ष को 8675-भा.रि.बैं. के पास जमा 101- केन्द्रीय सिविल को क्रेडिट करते हुए ऋणात्मक क्रेडिट किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा ऋण के पुर्नभुगतान तथा उस पर ब्याज के भुगतान के समय पर इस शीर्ष को ऋण/ब्याज को क्रेडिट करके डेबिट किया जाता है। भा.रि.बैं. (के.ले.अ.) नागपुर से लेखे के मासिक विवरण प्राप्त होने पर शीर्ष का 8675-भा.रि.बैं-101-केन्द्रीय सिविल के साथ जमा के प्रति, प्रतिलेखा डेबिट द्वारा ऋणात्मक डेबिट किया जाता है। 31 मार्च 2010 को इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष ₹92.02 करोड़ (डेबिट) तथा ₹128.83 करोड़ (क्रेडिट) था। बकाया भा.रि.बैं. (के.ले.का) उचन्त शेष मुख्य रूप से आपूर्ति विभाग: ₹82.88 करोड़ (क्रेडिट) तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय: ₹54.77 करोड़ (डेबिट) तथा विदेश मंत्रालय ₹14.53 करोड़ (डेबिट) के प्रति थे।

प्रधान लेखा कार्यालय में शेषों की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि वि.मं. में, वर्ष 2009-10 के अंत में (-)₹0.09 करोड़ तथा (-)₹14.62 करोड़ के शेष बकाया थे जिसमें (-)₹0.09 करोड़ के डेबिट शेष तथा ₹5.94 करोड़ के क्रेडिट शेष शामिल थे जो वर्ष 2007-08 से संबंधित थे।

2.13.2 ऋ.ज.प्रे. शीर्षों के अंतर्गत अधिक प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष ऋणात्मक शेष हैं जो उन लेखा शीर्षों के अन्तर्गत प्रदर्शित होते हैं जहाँ सामान्य रूप से एक ऋणात्मक शेष नहीं हो सकता है। उदाहणस्वरूप, किसी भी कर्ज या अग्रिम लेखा शीर्ष के प्रति, एक ऋणात्मक शेष, वास्तविक अग्रिम राशि से अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करेगा।

वर्ष 2009-10 हेतु संघ सरकार के वित्त लेखे में, ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेषों के 51 मामले है जिन्हें **परिशिष्ट-II-ङ** में दिया गया है। इनमें से, चार शेष वर्ष 2009-10 के दौरान प्रतिकूल हो गए तथा शेष 47 मामले पहले के वर्षों के वित्त लेखे में दर्शाए गए थे। इनमें 22 मामले पांच वर्षों से अधिक, 11 मामले 10 वर्षों से अधिक तथा चार मामले 20 वर्षों से अधिक समय से लम्बित शामिल हैं। यद्यपि, वित्त लेखे में प्रतिकूल शेष के फुटनोट उल्लेख करते थे कि ये जांचाधीन थे लेकिन म.ले.नि. तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ऐसे जांचों के निष्कर्ष और उनके समाशोधन के लिए किए गए प्रयास लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

लघु शीर्ष स्तर पर प्रतिकूल शेष एक साथ लिए गए विभिन्न लेखा वृतों के शेषों के कुल प्रभाव को प्रस्तुत करता है। इकाई/लेखा वृत के स्तर पर, प्रतिकूल शेष भु.ले.का. एवं प्र.ले.का. के पुस्तकों में भी प्रकट होते है लेकिन इनमें से बहुत से प्रतिकूल शेष प्रभावहीन हो जाते है क्योंकि जब लेखा वृत्तों के लेखे समेकित किए जाते हैं तो ये शेष एकत्रित हो जाते है। उदाहरणस्वरूप, आर्थिक कार्य विभाग, के.प्र.क.बो., वि.मं., स्वा.प.क.मं. तथा स.ले.ले.प.नि. के चयनित पांच प्र.ले.का. की लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2009-10 के अंत तक प्रतिकूल शेषों के साथ 19 लेखाशीर्ष थे जिनमे से

नौ को उपरोक्त प्रतिकूल शेषों के 51 मामलों में प्रदर्शित नहीं किया गया है। प्र.ले.का. की लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए प्रतिकूल शेषों को **परिशिष्ट-II-च** में दिया गया है। प्र.भु.ले.का. में प्रतिकूल शेषों पर अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैं:

(i) प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक - वि.मं.

प्रा.मु.ले.नि., वि.मं. में अभिलेखों की संवीक्षा ने उजागर किया कि वर्ष 2009-10 के अंत में शीर्ष 8443-सिविल जमा-113 'विदेश में क्रय हेतु जमा आदि' के अंतर्गत ₹19.40 करोड़ (डेबिट) का प्रतिकूल शेष 27 वर्षों से अधिक से बिना निपटान के पड़ा था। ₹19.40 करोड़ की कुल बकाया राशि में से ₹13.94 करोड़ सेल से संबंधित हैं। इसे वर्ष 2007-2008 हेतु नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.सी.ए. 13 में इंगित किया गया था परन्तु दावा अभी भी निपटान हेतु बकाया है। इसके अतिरिक्त, ₹26.03 करोड़ (डेबिट) का प्रतिकूल शेष शीर्ष-8443 सिविल जमा-117-लोक निकायों अथवा निजी व्यक्तिगतों हेतु किए कार्यों के लिए जमा' के अंतर्गत प्रकट हो रहा था। लोक निकायों अथवा निजी व्यक्तिगतों के पक्ष में मिशनों/केन्द्रों द्वारा किए भुगतानों को इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट शेष ने प्रदर्शित किया कि ₹26.03 करोड़ की राशि इस शीर्ष के अंतर्गत लोक निकायों/निजी व्यक्तिगतों के पक्ष में मिशनों द्वारा जमा के अधिक में खर्च/दर्ज की गई थी। प्रा.ले.का. ने बताया है कि बी.एस.एन.एल. से संबंधित ₹1.75 करोड़ की राशि जिसे भारतीय दूतावास, काठमाण्डू द्वारा 01.10.2000 से 31.08.2005 तक की अवधि के दौरान वहाँ तैनात दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के कार्मिकों के वेतन, या.भ. आदि के लिए खर्च किया गया था। शेष राशि तथा जब से यह राशि लंबित है की अवधि के ब्यौरा प्रा.ले.का. द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(ii) सहायता, लेखा तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक-स.ले.ले.प.नि.

वर्ष 2009-10 के अंत में मुख्य शीर्ष 6002-बाह्य ऋण के अंतर्गत सहायता, लेखा तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक के लेखों में ₹62.77 करोड़ का प्रतिकूल शेष ऋणों के पुनर्भुगतान के समय विनिमय हानियों के कारण था। इस विषय पर एक लेखापरीक्षा पैराग्राफ को वर्ष 2008-09 के लिए नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में शामिल किया गया था। मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई टिप्पणी में बताया कि 7 देशों/दानकर्ताओं के संबंध में प्रतिकूल शेष का निपटान कर दिया गया था तथा अन्य मामलों के प्रतिकूल शेषों को बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई तभी की जाएगी जबकि ऋणदाता द्वारा विस्तारित प्रत्येक व्यक्तिगत ऋण को प्रत्येक अनुबंध की परिशोधन सूची के अनुसार पूर्णतः पुनर्भुगतान किया गया था।

(iii) प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक- के.प्र.क.बो.

2003-04 से शीर्ष '7610.203-अन्य वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम' के अंतर्गत ₹(-)8.72 लाख (डेबिट) का प्रतिकूल शेष था। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक ने बताया कि मामला शीघ्र निपटान हेतु क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के साथ उठाया गया था।

(iv) लेखा नियंत्रक-आ.का.वि.

कार्यालय मुख्य लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा ने उजागर किया कि ₹294.12 करोड़ का प्रतिकूल शेष शीर्ष 7052-02-101 जहाजरानी विकास निधि समिति को कर्जे के अन्तर्गत पड़ा हुआ था जो कि मूल राशि के रूप में ब्याज राशि के गलत वर्गीकरण के कारण 2002-03 से लेखाओं में दर्शाया गया है। इसे वर्ष 2007-08 के नियत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या सी.ए.-13 के पैरा 2.9.2(ii) में निर्दिष्ट किया गया था परन्तु प्रतिकूल शेष अभी भी निरन्तर है। प्र.ले.का. ने बताया कि प्रतिकूल शेषों का वर्तमान वित्तीय वर्ष में निपटान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शीर्ष 7605-विदेशी सरकारों को अग्रिम (052-तुर्कमानिस्तान, 053-कीर्जीस्तान, 058-उज्रबेकिस्तान) के अंतर्गत ₹13.58 करोड़ (क्रेडिट); शीर्ष 8013.01.101- 'सेवानिवृत हो रहे सरकारी कर्मचारियों हेतु जमा योजना' के अन्तर्गत ₹62 करोड़ (डेबिट) तथा शीर्ष 8342.120 'विविध जमा' के अंतर्गत ₹109.02 करोड़ (डेबिट) के बड़े प्रतिकूल शेष 2009-10 के अंत तक भी बिना निपटान के पड़े थे। प्रतिकूल शेष तीन वर्षों से अधिक से दर्शाए जा रहे थे प्र.ले.का. ने बताया कि शीर्ष 7605 के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष विनियम दर अस्थिरता और मूल के रूप में गलती से दर्ज ब्याज प्राप्ति के कारण था जबकि अन्य प्रतिकूल शेष प्र.ले.का. द्वारा गलत वर्गीकरण के कारण थे और शेषों को समाप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

(v) मुख्य लेखा नियंत्रक, स्वा.प.क.मं.

शीर्ष 8342.00.117-सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत ₹0.57 करोड़ (डेबिट) का प्रतिकूल शेष था। प्र.ले.का. ने बताया कि प्रतिकूल शेष वर्ष 2007-08 तक प्राप्तियों से वर्ष 2007-08 में अधिक भुगतान के कारण था तथा इसके परिशोधन हेतु मामला प्रधान लेखा कार्यालयों के साथ उठाया जाएगा।

2.13.3 "चैक एवं बिल" शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

यह शीर्ष लेन-देनों के आरम्भिक अभिलेख जो अन्तर समाशोधित होते हैं, के लिए मध्यवर्ती लेखांकन शीर्ष है। लेखाओं के विभागीयकरण की योजना के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा भा.रि.बैं या अधिकृत बैंकों की शाखाओं पर आहरित चैकों द्वारा सरकार के प्रति दावों का भुगतान किया जाता है।

जब दावे भु.ले.का./विभागीय अधिकारी को उपयुक्त बिल में प्रस्तुत किए जाते है तब प्रक्रियाओं तथा निर्धारित जांचों तथा भुगतान आदेश को दर्ज करने के उपरान्त चैक जारी कर भुगतान को प्राधिकृत किया जाता है। प्रत्येक माह के अन्त में, मुख्य शीर्ष 8670-चैक एवं बिल को वितरित चैकों की कुल राशि द्वारा क्रेडिट किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक/भा.रि.बैं (के.ले.अ.) नागपुर से जारी चैकों के प्रति उनके द्वारा किए गए भुगतानों को दर्शाते हुए तिथि-वार मासिक विवरण 'ति.मा.वि.'/ शेषों की मासिक विवरण की प्राप्ति होने पर जैसा भी मामला हो शीर्ष 8670- चैक एवं बिल को ऋणात्मक क्रेडिट तथा उपरोक्त 8658-108-पी.एस.बी. उचन्त/8675-101-भारतीय रिजर्व बैंक जमा- केन्द्रीय सिविल को प्रदान किया जाता है।

2009-10 के वित्त लेखे में भारी शेष ''चैक एवं बिल'' के निम्न लघु-शीर्षों के अन्तर्गत बकाया पड़े हुए हैं:

(₹करोड़ में)

पूर्व लेखापरीक्षा चैक	क्रेडिट	0.41
भुगतान एवं लेखा कार्यालय चैक	क्रेडिट	8729.50
विभागीय चैक	क्रेडिट	394.07
खजाना चैक	क्रेडिट	4.59
इरला चैक	क्रेडिट	0.59
दूर संचार लेखा चैक	क्रेडिट	1380.42
डाक चैक	क्रेडिट	6107.36
रेलवे चैक	क्रेडिट	2851.61
रक्षा चैक	क्रेडिट	4089.93
इलैक्ट्रानिक एडवाइस	डेबिट	40.91
भुगतान एवं लेखा कार्यालय इलैक्ट्रानिक एडवाइस	क्रेडिट	40.61

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 45 में विनिर्दिष्ट है कि जारी करने के एक माह के उपरान्त तीन माह के भीतर किसी भी समय देय होगा। इसके अतिरिक्त नियम 47(2) मे विनिर्दिष्ट है कि जारी करने के एक माह के उपरान्त छः माह की अवधि तक अदत्त शेष चैकों का भुगतान तथा नवीनीकरण हेतु अभ्यर्पित नहीं किए गए चैकों के मामलों में, उन्हें '8670-चैक एवं बिल' में ऋणात्मक क्रेडिट करके वापसी या रद्द किया जाना होता है तथा क्रियाशील मुख्य/लघु शीर्ष व्यय जिसमें से वास्तविक रूप से डेबिट किया गया था, को ऋणात्मक डेबिट किया जाता है तथा लेखे में राशि को पुनः लेनदेन किया जाना होता है।

विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत ऐसी भारी बकाया राशियां दर्शाती है कि लेखांकन प्राधिकारी आवश्यक कार्रवाई जैसा कि नियमावली के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित थी नहीं कर रहे थे। 'चैक एवं बिल' के अन्तर्गत बकाया राशि की सीमा तक सरकारी रोकड़ शेष अधिक बताए गए। उत्तर में, म.ले.नि. ने अक्तूबर 2010 में बताया कि तीन

महीनों से अधिक बकाया चैकों को वापस लेने हेतु संबंधित मु.ले.नि. को अनुदेश जारी किए जा रहे थे।

पांच प्रधान लेखा कार्यालयों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि वि.मं. में ₹166.15 करोड़ की राशि के 6574 चैक तथा स्वा.प.क.मं. में ₹8.22 करोड़ की राशि के 2251 चैक तथा के.प्र.क.बो. में ₹16.06 करोड़ के 7565 चैक तथा आ.का.वि. में ₹1.06 करोड़ की राशि के 863 चैक छः माह से अधिक के लिए बिना भुगतान किए रहे किन्तु इन्हें प्र.ले.का. द्वारा निरस्त नहीं किया गया था।

2.13.4 प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की समीक्षा का न किया जाना

सिविल लेखा नियमावली के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंत में, भु.ले.का. विभिन्न ऋ.ज.प्रे. शीर्षों के अन्तर्गत शेषों का सत्यापन करेगा और जहाँ कहीं भी आवश्यक है यह सुनिश्चित करेगा कि शेषों की यथातथ्यता उन व्यक्तियों/पार्टियों द्वारा स्वीकार्य है जिनके द्वारा शेष रखे जाते है या जिसे देय है और गैर-समाधान विभिन्नताओं को दर्शाने वाले व्यौरे एवं मामले जहाँ शेषों की स्वीकृति प्रतीक्षित है, को दर्शाने वाला विवरण प्रत्येक वर्ष 15 सितम्बर तक वार्षिक रूप से प्रस्तुत करना अपेक्षित है। प्रधान लेखा अधिकारी पूरे मंत्रालय/विभाग हेतु समेकित रिपोर्ट को समस्त रूप से प्रत्येक वर्ष 15 अक्तूबर तक महालेखा नियंत्रक को भेजा जाना अपेक्षित है। इस समीक्षा को करने का उद्देश्य लेखे के विभिन्न लेखा पुस्तिकाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना तथा ऋण, जमा एवं प्रेषण के आंकड़ों का समाधान करना है।

सिविल विभागों के संबंध में, वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के शेषों की समीक्षा कुल 68 प्रधान लेखा कार्यालयों में से क्रमशः केवल 20, 26, 36 तथा 38 विभागों में पूर्ण की गई थी।

प्र.ले.का. द्वारा शेषों की समीक्षा करने के विफलता तथा समय पर कार्रवाई की कमी ने कई वर्षों से बकाया पड़े प्रतिकूल शेषों को दर्शाया गया है, जैसा कि बाद के पैराग्राफों में प्रतिबिम्बित किया गया है।

यह अनुशंसा की जाती है कि वित्त मंत्रालय सरकारी लेखे की यथातथ्यता एवं गुणवत्ता का सुधार करने के लिए ऋ.ज.प्रे. एवं उचंत शीर्ष के अन्तर्गत शेषों के समाशोधन/निपटान हेतु निरन्तर समीक्षा एवं सामयिक कार्रवाई हेतु एक अत्यधिक प्रभावी नियंत्रण तंत्र को स्थापित करे।

ले.म.नि. कार्यालय ने **पैरा 2.13.1 से 2.13.4** तक लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में बताया है (नवम्बर 2010) कि पुराने उचन्त शेषों को देखने तथा इसका जल्द से जल्द निपटान करने/बट्टे खाते में डालने हेतु एक कार्य समूह स्थापित किया गया था।